कामकाजी महिला

वर्ष 4 | अंक 6 | अगस्त, 1992 | मूल्य : 2 रु०

कांग्रेस सरकार की भर्त्सना करने के लिए नवम्बर 1992 में लाखों लोगों का संसद मार्च

विमल रणदिवे

श्रम संगठनों तथा प्रायोजक समिति द्वारा की गयी 16 जून की हड़ताल की अपील एक महान सफलता बनी। हड़ताल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों, स्टील, तेल व उर्वरक, बैंक तथा जीवन बीमा आदि के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। यह भी एक तथ्य है कि इन क्षेत्रों में कार्यरत महिला उद्यमी (जिनमें निम्न वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं) भी इस हड़ताल में शरीक हुईं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल व बंगाल की आंगनवाड़ी महिलाओं ने भी कांग्रेसी सरकार की समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करने वाली आर्थिक व औद्योगिक नीतियों के विरुद्ध मजदूर संघर्ष की मुख्यधारा में शामिल होते हुए इस दिन को विरोध दिवस के रूप में मनाया। श्रम मंत्री श्री संगमा कुछ भी कहें, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों, अधिकारी संगठनों तथा इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों की हड़ताल में भागेदारी से साबित होता है कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं, वह सफेद झूठ है। इस हड़ताल के 29 नवम्बर की हड़ताल से अधिक सफल रहने का कारण मजदूर वर्ग को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर श्रम संगठनों फेडरेशनों व ऐसोसिएशनों के बीच हुई व्यापक एकता है। इंटक व बी.एम.एस के हड़ताल में शामिल न होने के बावजूद उनके समर्थकों ने हड़ताल में हिस्सेदारी की।

16 जून की हड़ताल के लिए बने माहौल से पता चलता है कि कांग्रेसी शासन के प्रति लोगों में कितना असंतोष है जो विश्व बैंक व मुद्रा कोष से ऋण लेने के लिए देश को गिरवी रखते हुए उनके निर्देशों के समक्ष झुकती जा रही है। यह सरकार शर्मनाक बैंक घोटाले को संसद के समक्ष बहस के लिए इसलिए नहीं ला रही है क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिज्ञ शामिल हैं। जनता को

इस अंक में

धनबाद से रपट	4
यातना की तस्वीर	5
महाराष्ट्र में दूसरा राज्यस्तरीय आगनवाड़ी सम्मेलन	9
ट्रेड यूनियनों की संयोजक समिति द्वारा भिलाई हत्याकांड की कड़ी निन्दा	10
गणतांत्रिक नारी समिति, त्रिपुरा की राज्य समिति का ज्ञापन	11
विशाखापटनम में प्रथम आंगनवाड़ी सम्मेलन	13
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सम्मेलन सं० 100 'समान वेतन' के बारे में सरकार की आलोचना	14
ग्वालियर में आंगनवाड़ी महिलाओं का सम्मेलन	17
महिला उद्यमियों की केरल राज्य समिति की बैठक	18
आंगनवाड़ी फेडरेशन की बैठक के फैसले	19
बिहार राज्य खेत-खलिहान महिला मजदूर संघ का प्रथम राज्यस्तरीय सम्मेलन	20
शोलापुर की महिला बीड़ी मजदूरों की विजय	22
बिहार राज्य आंगनवाड़ी महिलाओं का विधान सभा पर विशाल धरना	23

आवरण

ऊपर : 9 मार्च 1992 को संयुक्त संघर्ष समिति के जेल भरो आह्वान पर पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन द्वारा आयोजित चंडीगढ़ में आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा गिरफ्तारी दिये जाने से पूर्व का एक दृश्य।

नीचे : 9 मार्च 1992 को चंडीगढ़ में रैली का एक दूसरा दृश्य।

सीट के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

अब विश्वास हो गया है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अब 1990 के स्तर पर कभी नहीं आएंगी, जैसा कि प्रधानमन्त्री ने वादा किया था। आम जनता, खासतौर से महिलाएं आसमान छूती कीमतों से परेशान हैं। महिला उद्यमियों को छंटनी की धमकी दी जा रही है तथा देश में नयी तकनीक के प्रवेश की सबसे पहली शिकार वे ही होंगी।

कुछ दिन पहले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर अयोध्या में घट रही घटनाओं को लेकर लोगों में गहरी चिन्ता थी। अल्पसंख्यकों में भय व्याप्त था कि उनका क्या होगा। अहमदाबाद व नासिक के दंगों में पहले ही अनेक जानें जा चुकी हैं। हालांकि यह मामला कुछ समय के लिए टल गया है लेकिन विवादित स्थल पर मन्दिर निर्माण की भाजपा तथा विहिप के इरादों के बारे में किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। हमारी जनता खासतौर से महिलाओं को इन सांप्रदायिक संगठनों की ओर से अधिक सतर्क रहना पड़ेगा जो मन्दिर निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं तथा जनता में सांप्रदायिक भावनाएं भड़का कर फूट डाल रही हैं।

यही कारण है कि प्रायोजक समिति ने नवम्बर में संसद के अधिवेशन के समय लाखों की संख्या में संसद भवन तक मार्च करने के एक और बड़े कार्यक्रम का आह्वान किया है। समिति ने कांग्रेस सरकार की जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध 13 सितंबर '92 को मावलंकर हॉल में राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ ही साथ अक्टूबर-नवंबर '92 में राज्यवार सम्मेलन आयोजित करने की अपील की है। हम भी किसानों, खेत-मजदूरों, छात्रों, युवाओं व महिला संगठनों से अपील करते हैं कि वे भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हों।

कामगार महिलाएं निश्चित रूप से प्रायोजक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आगे आएंगी जिससे आंदोलन मजबूत होगा। राज्य समन्वय समिति कामगार महिलाओं व यूनियनों के सम्मेलन आयोजित करके बेरोजगारी, तकनीकी व बालकल्याण के मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगी। कामगार महिलाओं का राजनीतिकरण हो रहा तथा उनकी चेतना बढ़ रही है क्योंकि वे सरकारी नीतियों की पहली शिकार होंगी। मिलबंदी तथा छंटनी के माध्यम से मजदूर वर्ग पर होने वाले हमलों—जबकि पहले से ही करोड़ों लोग बेरोजगार हैं—

तथा वित्तमंत्री मनमोहन सिंह झूठे वादे कर रहे हैं कि छंटनी या मिलबंदी नहीं होगी, मजदूर वर्ग, कर्मचारियों व खासतौर से कामगार महिलाओं को एक गंभीर प्रचार अभियान चलाना होगा ताकि उस सरकारी प्रचार का मुकाबला किया जा सके कि उसकी नीतियां देश को सामान्य स्थिति में ले आएंगी।

नवम्बर में लाखों की संख्या में संसद-मार्च करने वाली जनता विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के निर्देश पर बनी आर्थिक व औद्योगिक नीतियों को पूरी तरह से बदलने व आवश्यक वस्तुओं की कीमतें घटाने की मांग करेंगी। यदि कांग्रेस सरकार यह नहीं कर सकती तो उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है तथा उसे इस्तीफा दे देना चाहिए।

वधू हत्याओं के बढ़ते हुए मामले

9 जुलाई को लोकसभा को बताया गया कि 30 जून, 1992 तक पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान 1,049 दहेज हत्याओं के लिए 312 पतियों पर मुकदमें चल रहे हैं।

1989 के 312 मामलों के मुक़ाबले 1991 में दहेज हत्याओं के 353 मामले प्रकाश में आये। यह बात गृह-राज्य मंत्री श्री एम. एम. जैकब ने श्री करिया मुंडा को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताई।

1990 में वधू-हत्या के 262 मामले सामने आये और 1992 के पहले छह महीनों में ऐसे ही 122 मामले प्रकाश में आ चुके हैं।

अत्याचार

लोक सभा को बताया गया कि 30 जून को समाप्त पिछले साढ़े तीन सालों में राजधानी में दहेज हत्या के 122 मामले तथा बलात्कार के 255 मामले हो चुके हैं।

श्री बी. बी. एस. सिंह के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृहराज्य मंत्री 1991 में दहेज हत्याओं के 57 मामले पंजीकृत हुए हैं तथा चालू वर्ष के पहले छः महीनों में ऐसी 65 घटनाएं घट चुकी हैं।

धनबाद से रपट

रानी देवी

वर्तमान परिस्थिति में भारतवर्ष में पुरुष प्रधान समाज ने नारी को भोग-विलास की वस्तु बना दिया है तथा सर्वत्र नारी उत्पीड़न, दहेज हत्याकांड, अत्याचार, अनाचार, बलात्कार की घटनाएं देखने में आ रही हैं।

ऐसी स्थिति में नारियों का सामने आकर पुरुषों के मुकाबले में अपने हकों के लिए लड़ना ही एक मात्र रास्ता रह गया है। आज घरेलू जिन्दगी से लेकर दफ्तरों व कारखानों आदि सभी स्थानों पर उन्हें दोहरी नीति का सामना करना पड़ रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण धनबाद कोयलांचल में कोकिंग कोल लि० की घटनाएं हैं।

कंपनी के दिनांक 24-4-86 के कार्यालय आदेश के अनुसार पांच हजार पुरुषों की कार्ड कटवाकर एक्सचेंज में बहाली की गयी। लेकिन महिलाओं को कार्ड होते हुए भी बहाल नहीं किया गया। 1973 में जब कोलयारियों का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय बी.सी.सी. में पेंतीस हजार महिलाएं कार्यरत थीं, लेकिन आज नयी भर्ती की बात तो दूर रही बल्कि पहले से कार्यरत महिलाओं की भी विभिन्न कारण दिखाकर छंटनी की जा रही है। इस प्रकार महिलाओं के सदा पक्षपात होने के कारण ही 'कामकाजी महिला समिति' का गठन हुआ।

उक्त समिति आरंभ से संघर्षशील रही है। बी.सी.सी.एल. के क्षेत्र संख्या 9 के कुजामा साइडिंग में वैगन लोडिंग का काम एक स्थायी कार्य है। फिर भी प्रबंधक ठेकेदारों के माध्यम से 600 श्रमिकों से ठेके पर काम करवा रहे हैं। यही नहीं प्रबंधकों ने ठेकेदारों के साथ साथ सांठ-गांठ करके पे-लोडरों द्वारा काम करवाकर सभी 600 श्रमिकों को बेरोजगार करने की साजिश रची।

इसके विरोध में कामकाजी महिला समिति ने दिनांक 12-4-92 को दिन-रात का धरना दिया। इसी संदर्भ में समिति की रानी देवी के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया व एक मांगपत्र प्रस्तुत किया गया।

जब उक्त मांग-पत्र पर ध्यान नहीं दिया गया तो बाध्य होकर महिलाओं ने 26.05.1992 को उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। संयोग से उस दिन उपायुक्त महोदय कार्यालय में मौजूद नहीं थे। उपायुक्त महोदय की अनुपस्थिति में सी. के. साइडिंग में काम करने वाले पुरुषों व महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 27.05.92 को सदर अनुमण्डलाधिकारी के कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें महाप्रबंधक, बस्ताकोला क्षेत्र सं० 9, उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक—बस्ताकोला क्षेत्र संख्या 9, पूर्व सांसद व बी.सी.के.यू. के अध्यक्ष कॉ. ए.के. रॉय, कॉ. एन.एन. सिंह (सचिव), कॉ० प्रह्लाद महतो, क्षेत्रीय अध्यक्ष, बस्ताकोला क्षेत्र संख्या-9, कॉ. कन्हाई पासी, शाखा सचिव तथा कामकाजी महिला समिति की ओर से श्रीमती रानी देवी, श्रीमती राजमती देवी व श्रीमती सोनवा देवी शामिल थीं।

बैठक में निर्णय किया गया कि सी. के. साइडिंग में ठेके पर काम कर रहे 600 मजदूरों को काम दिया जायेगा।

दिनांक 28.5.92 को कामकाजी महिला समिति के तत्वावधान में सी. के. साइडिंग से एक विशाल जुलूस निकाला गया जो विभिन्न स्थानों से गुजरता हुआ धरना स्थल पर आकर आम सभा में परिवर्तित हो गया, जिसकी अध्यक्षता कॉ० रानी देवी ने की। सभा को सोनवा देवी, राजमति देवी, कोशिल्या देवी, कन्हाई पासी, पाईका हंसदा, राधेश्याम वाल्मीकि, तुलसी खानी एवं आर. सी. सिंह आदि ने संबोधित किया। सभा के मुख्य अतिथि कॉ० प्रह्लाद महतो ने देश की वर्तमान स्थिति व कामकाजी महिला समिति के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया।

अंत में कॉ० रानी देवी के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सभा का समापन हुआ।

यातना की तस्वीर

अंजलि देशपांडे

[दलितों पर बढ़ते हुए अत्याचार की जो खबरें आये दिन दैनिक पत्रों में छप रहीं हैं, उन्हें पढ़कर किसी भी भारतीय का सिर घृणा और शर्म से झुक जाना चाहिये। राजस्थान में भरतपुर के निकट कुंभेर में जाटवों को जिस भयानक अत्याचार का सामना करना पड़ा है उसकी जीवंत तस्वीर सुश्री अंजलि देशपांडे ने हाल ही में कुंभेर का दौरा करने के बाद खींची है। 20 जून, 1992 को 'मेन स्ट्रीम' में छपा उनका लेख हम यहां प्रकाशित कर रहे हैं।—संपादक]

कुंभेर का भय अतर सिंह के चेहरे पर अंकित हैं। उनके भय का कारण यह है कि वे जाटव, चमार हैं। हफ्ते भर पहले ही उनके पिता बुद्धिलाल, की चमार होने के कारण ही हत्या कर दी गयी थी। कुंभेर में जाटवों से अपनी बात कहने तथा यह जानने के कारण घृणा की जाती है कि स्वतंत्र भारत में उन्हें जातीय प्रवंचनाओं के विरुद्ध कानूनी मुआवजा दिया जाता है। स्थानीय जाटों को उन्हें यह सिखानी पड़ी कि 'मनु' अभी भी पुराने नहीं पड़े हैं, और 6 जून, 1992 को उन्होंने यही किया।

आज कुम्हेर का बड़ा मुहल्ला एक ऐसे स्थान की जानी-मानी तस्वीर प्रस्तुत करता है जहां लुटेरों का आक्रमण हुआ हो। घरों को मिट्टी में मिला दिया गया है। टूटे-फूटे बर्तन राख में से झांक रहे हैं। बच्चों की किताबें, कापियां व अन्य कागज राख हो गये हैं। आधे से ज्यादा जाटव आबादी गांव छोड़कर भाग गयी है। चारों तरफ एक समय के जीवित समुदाय के अवशेष बिखरे पड़े हैं।

लोग किसी भी शहरी अपरिचित की ओर झपट कर आते हैं तथा उसे गोबर के अंगारों के बुझे हुए ढेर दिखाते हैं। इन ढेरों के नीचे जानवरों और इन्सानों की हड्डियां दबी पड़ी हैं। पुलिस ने उन लोगों के अवशेषों को हटा देने का महत्वपूर्ण काम किया है जिन्हें जिन्दा जला दिया गया था।

राजस्थान में भरतपुर से केवल 15 किलोमीटर दूर स्थित कुम्हेर को कस्बा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में यह अति-विकसित गांव है। लोग कड़े जातीय विभाजन में जीवन-यापन कर रहे हैं। बड़ा मुहल्ला में भी कुछ अपवाद हैं और ये उन लटेरों ने भी देखे थे जो केवल इसी कारण से जाटवों को काट डालने के लिए आये थे कि—जाटव अब चमार और ढेढा कहलाना पसन्द नहीं करते। ब्राह्मणों के कुछ मकान अपने सामने हुई विनाशलीला का माखौल बनाते हुए सुरक्षित खड़े हैं।

बड़ा मुहल्ला मूलतः चमारों की बस्ती है। इसमें संकरी गलियों के किनारे जुड़े हुए मकानों की कतारें हैं। ये संकरी गलियां एक चौड़ी सड़क से मिलती है, जो गोवर्धन द्वार पर जाती है जो कि समृद्धिशाली जाटों की दुमंजिला मकानों की बस्ती है। वास्तव में कुम्हेर के स्थानीय जाट अल्पसंख्य हैं। कुल 20,000 की जनसंख्या में से इनके लगभग 50 परिवार हैं। जाटवों की संख्या करीब 7000 है लेकिन ये आस पास के 210 जाट बहुल गांवों से घिरे हुए रह रहे हैं।

6 जून को जब आस-पास के गांवों तथा गोवर्द्धन द्वार से जाट लोग बड़ा मुहल्ला में घुस आये तो जाटवों के लिए भागने का कोई स्थान नहीं था। ये पोडार (स्थानीय जाटों को यहां इसी नाम से जाना जाता है) चाकू, भालों, हॉकी स्टिकों व आग्नेयास्त्रों से लैस थे, 14 जाटवों की जघन्य हत्या कर दी गयी। अन्य 25 लोग घायल हुए। 17 लोग अभी भी भरतपुर अस्पताल में दाखिल हैं। अंजु की अभी भी डर से बोलती बन्द हो जाती है। उसके माथे व जबड़ों पर सफेद पट्टियां बंधी हैं। उसकी बड़ी बहन सुनीता जो कि दसवीं कक्षा की छात्रा है बतलाती है कि "उसे तलवार लगी थी"। सुनीता के पीले पड़ गये चेहरे पर भी जगह-जगह पट्टियां बंधी हैं "मुझे हॉकियों से मारा गया था" वह संवेदनशून्य ढंग से बताती है आप मेरी कमर देखना चाहती हैं। उस पर भी निशान हैं। उन्होंने मेरी कमर तोड़ ही डाली थी।"

जाट लोग यही करने आये थे। एक अछूत समुदाय की कमर तोड़ने के लिए जिसने अपनी आवाज उठाना आरंभ किया था। यह बात कुम्हेर में स्पष्ट है। लेकिन मामले की गहराई को समझने के लिए घटनाओं के अधिक

विस्तृत विवेचन की आवश्यकता है। तीन प्रमुख घटनाएं हैं—1 जून का सिनेमा हॉल का संघर्ष, 3 जून की बस स्टैंड की घटना तथा 6 जून का हत्याकांड। यहां तक सभी सम्बद्ध पक्षों, जाटवों, पोडारों व प्रशासन में मतैक्य है। लेकिन क्या हुआ और क्यों हुआ? तीनों घटनाओं के तीन अलग-अलग विवरण हैं, इनमें से प्रशासन का मत जाटों के मत से मिलता-जुलता है, जिसमें जाटवों पर उच्च वर्ग से झगड़ने का आरोप है।

1 जून का घटनाक्रम

1 जून को एक स्थानीय सिनेमा हॉल, संजय टाकीज पर चार जाटव युवकों की कुछ जाटों से लड़ाई हुई। थियेटर के मालिक आकाशदीप स्वयं भी एक जाट हैं तथा अधिकतर कर्मचारी भी पंगोर जिले के जाट हैं। जाटवों के अनुसार इन कर्मचारियों का काम यह देखना होता है कि जाटव लोग सीटों पर न बैठें बल्कि फर्श पर बैठें, क्योंकि हॉल की क्षमता से अधिक टिकट बेचे जाते हैं और जाट फर्श पर बैठने में अपमानित महसूस करते हैं। जाटवों का कहना है कि राजेन्द्र प्रसाद व उनके तीन मित्र संजय टाकीज पर बारह बजे का शो देखने गये थे। पंगोरा के ये कर्मचारी जानते थे कि ये लोग अछूत हैं तथा वे इन्हें सीट पर से हटाने की कोशिश कर रहे थे तभी लड़ाई हुई। जाट व पुलिस जोर देकर कहते हैं कि इन लोगों के पास टिकट नहीं थे इसी कारण सिनेमा हॉल के कर्मचारियों ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया। इसी कारण दोनों गुटों में झगड़ा हो गया।

सच्चाई कुछ भी हो लेकिन ऐसी किसी घटना से सामान्यतः इस तरह की आग नहीं भड़क सकती थी। जाटों को जाटवों से अनेक शिकायतें हैं। एक, अधिकतर भूमिहीन जाटव कुशल निर्माण मजदूर हैं तथा हाल ही में उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधर गयी है। अपना नाम बताने से इन्कार करते हुए एक जाट युवक ने कहा कि "इनके पास बहुत पैसा है।"

एक बैंक कर्मचारी तथा बड़ा मुहल्ला के ब्राह्मण निवासियों में से एक बालकृष्ण शर्मा कहते हैं: "मंडल-विरोधी आन्दोलन के समय में जाटों व जाटवों के बीच तनाव कई गुना बढ़ गया। पुलिस के आई जी, बी एस यादव उस बात की पुष्टि करते हैं कि पिछले दस सालों से जातीय तनाव बढ़ रहा था। "इसका कारण कुछ जाटवों में बढ़ती हुई जागरूकता है तथा कुछ इस समुदाय के बारे में नेताओं की बढ़ती हुई जागरूकता है।" हत्याकांड से पहले की नेताओं की गतिविधियाँ इन अधिकारी महोदय के शब्दों से कहीं ज्यादा गंभीर थीं। भरतपुर के भाजपा सांसद, कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) आयीं और केवल अपने मतदाताओं, जाटों से मिलीं, इसी प्रकार कांग्रेस (ई) के पूर्व सांसद नटवर सिंह आकर केवल जाटवों से मिले व उनमें पैसे बांटे। इसके बाद जाटों ने अपनी बात कहने के लिए उनके भरतपुर के निवास स्थान का घेराव किया।

3 जून

हम पुनः घटना क्रम की ओर लौटें। 3 जून को बड़ा मुहल्ला को चार निर्माण मजदूरों को पंगोरा गांव में पीटा गया। ये चार जाटव लोग, राजेन्द्र सुमेर, भजन लाल, लीला धर तथा सुकुम सिंह काम पर से लौट रहे थे जब कि उन्हें संजय टाकीज झगड़े में शामिल होने वालों के तौर पर पहचान लिया गया। जाटवों का कहना है कि उन्हें वेतन देने से इनकार कर दिया गया, पीटा गया तथा भजन लाल के पैर में गोली लगी। गोवर्द्धन द्वार के जाट गर्वपूर्वक कहते हैं कि ये लोग पहचान लिए गए व उन्हें उचित दण्ड दिया गया। पुलिस का मत कुछ अलग है। एक पुलिस अधिकारी का कहना है इनमें से दो लड़कों को पहचान लिया गया था। जाटों तथा इन लड़कों में बहस हो रही थी तभी एक पूर्व-परपंच महाराज सिंह ने बीच में हस्तक्षेप किया। इसके बाद जाटवों ने भागना शुरू कर दिया। भजन लाल अपनी साइकिल पर भाग रहा था। वह साइकिल से गिर गया जिससे उसे चोट लग गयी।" अधिकारी का यह भी मत है कि "जाटवों द्वारा कुम्हेर के स्थानीय डॉक्टर पर गोली लगने का प्रमाण पत्र देने के लिए दबाव डाला गया।"

बहरहाल, इतना साबित हो चुका है कि मंगोरा में जाटवों को पीटा गया। वे बड़ा मुहल्ला। में आये और उन्होंने इस घटना के बारे में बताया। जाटव जोर देकर कहते हैं कि स्थानीय पुलिस केस दर्ज नहीं करती अतः उन्होंने कुम्हेर बस स्टैंड पर रास्ता रोकी आन्दोलन करने का फैसला किया व वहाँ जयपुर से आने वाली अनेक बसें रोक दीं।

लगता है कि इसके बाद तनाव भड़का क्योंकि अफवाहें

फैलनी आरंभ हो गयीं थीं। पुनः अपना परिचय देने से इन्कार करते हुए एक जाट ने कहा कि "जाटवों ने एक महिला को नंगा करके उसके स्तन काट डाले थे। वह महिला वहाँ से भाग गयी, लेकिन उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि लज्जा आज भी भारतीय नारी का प्रमुख गुण है।"

यह अफवाह कुम्हेर में खूब फैल गयी थी। बड़ा मुहल्ला के बालकृष्ण शर्मा ने रिपोर्टर के सामने यही कहानी दोहरायी तथा भरतपुर जनरल अस्पताल में दाखिल राजस्थान पुलिस के दो घायल कांस्टेबलों ने भी यही कहानी दोहरायी।

पुलिस आई.जी., श्री यादव ने इस बात से दृढ़तापूर्वक इन्कार किया। इसी प्रकार अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी इस बात से इन्कार किया जिनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर. एस. ढिल्लों भी शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस महिला की कहानी पर विस्तार से चर्चा हुई। जाटों का कहना है कि वह जाट महिला थी हालांकि एक ही सांस में वे यह भी कहते हैं कि जयपुर से आयी किसी बस की अपरिचित यात्री थी। यह भी आश्चर्यजनक है कि उस महिला को जीवित बताया जाता है जबकि वह किसी अस्पताल में नहीं ले जायी गयी। इसके अलावा कोई भी उसे देखने अथवा उससे मिलने का दावा नहीं करता।

6 जून का अभूतपूर्व हत्याकांड

जाटों द्वारा एक बड़ी सभा करने पर जाटव आशंकित हो गए। इसी समय पुलिस के हरकत में आने का समय था। और वह हरकत में आयी। वह 'जून को तड़के ही बड़ा मुहल्ला में एक 'खोजी अभियान' चलाने के लिए पहुंच गयी।

जाटों ने पुलिस से शिकायत की थी कि जाटव सीमा से बढ़ते जा रहे हैं। एक जाट ने कहा: "वे हम पर हमला करने जा रहे थे। उनके पास विस्फोटक थे तथा उन्होंने एक महिला का अपमान किया था।"

6 घण्टे चले इस अभियान में 150 जाटवों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक मोहन सिंह (जो कि खुद एक जाट हैं) ने स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया। पुलिस का दावा है कि उसे अभियान में चैन में बंधे 9 इंच लम्बे कच्चे बम मिले। राम अवतार शर्मा व छुट्टन लाल, ऐसे ही बम के फट जाने पर जख्मी हो गए थे। छुट्टन लाल का कहना है: "जाटव हथगोले बनाना जानते हैं लेकिन नेताओं के दबाव के कारण उच्चाधिकारी जांच नहीं करते।"

इसके विरूद्ध पुलिस महानिरीक्षक, श्री यादव कहते कि "ऐसा लगता है जाटव अल्पसंख्यक ग्रन्थि से पीड़ित थे तथा उन्होंने आत्म रक्षा हेतु बमों का निर्माण किया था।

लेकिन पुलिस ने उन्हें आत्म रक्षा के ऐसे सभी साधनों से वंचित कर दिया। अधिकतर जाटव युवाओं को भरतपुर भेज दिया गया। 11.00 बजे बड़ा मुहल्ला भय से कांप रहा था, लेकिन भीषणतम घटना अभी बाकी थी।

उसी दिन 2 बजे दोपहर सैकड़ों ट्रैक्टरों व ट्रॉलियों ने जाटव बस्तियों को घेर लिया। पंगोरा गांव के उसी पूर्व-सरपंच, महाराज सिंह के नेतृत्व तलवारों व भालों से लैस जाट कूद पड़े। टेक्ही जाटव का कहना है: "महाराज सिंह, 24 गांवों का जाट प्रमुख है।" स्थानीय पुलिस अभी आस-पास ही थी लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। अत्तर सिंह कहते हैं कि "उन्होंने बस हवा में गोली चलायी और अपनी दूरी बनाये रखी।"

बड़ा मुहल्ला व उससे सटे हुए अनारगंज में यह बात साफ प्रकट हुई है कि जाट जाटवों के पीछे पड़े थे। बड़ा मुहल्ला में प्रवेश का रास्ता वाल्मीकी (सफाई वाले) बस्ती से गुजरती है। यह लगभग 16-17 झोंपड़ियों का एक समूह है। इनमें से अधिकतर को जला दिया गया तथा इनके सामने के गोबर के ढेरों में अनेक जख्मी जाटवों को जिन्दा जला दिया गया लेकिन किसी सफाई वाले को नहीं छुआ गया। अनारगंज के समीप ही कोलियों (बुनकरों) की बस्ती है। उनका सामान व मकान भी जला दिए गए लेकिन किसी कोली को नहीं मारा गया।

हमले के आवेग को जाटवों ने झेला। चूंकि वे हड़बड़ी में भागे अतः वे पकड़ में आ गए जिसके बाद उन्हें पीस गया तथा उनकी हत्या कर दी गयी। या फिर अर्ध-मृत अवस्था में जलती आग में डाल दिया गया। अगले दिन पुलिस यहाँ से मृत लोगों के अवशेष हटा ले गयी।

घटनाक्रम शाम 6 बजे तक जारी रहा। आग बुझाने के लिए फायर-ब्रिगेड का कोई ट्रक नहीं आया। 20,000 आबादी वाले शहर में जाटवों की मदद के लिए कोई नहीं है। यह एक तूफानी शनिवार था तथा रातभर आग का

भयंकर तांडव चलता रहा। चित्तारिया, एक जाटव महिला कहती है 'भगवान भी हमारा दुश्मन बन गया था और प्रकृति भी हमारे साथ नहीं थी।'

आधी रात का भरतपुर में पुलिस हिरासत से जाटवों को छोड़ दिया गया। लौटकर उन्होंने देखा उनके घर उजड़ गये थे, परिवार बिखर गया था तथा उनके पशु मूक यन्त्रणा झेल रहे थे। जो भैंसे और बकरियाँ बंधी हुई थीं उनमें से अधिकतर अपने स्थान से हिलने में असमर्थ होने के कारण वहीं आग में जल गयीं।

कुल मिलाकर 13 लोग मारे गये, 17 गंभीर रूप से घायल हुए, 157 मकान जले तथा 25 लाख रुपये की संपत्ति नष्ट हो गयी।

स्थानीय पुलिस की भूमिका को देखते हुए जयपुर ने आवश्यजनक तेजी से कार्रवाई की। विपुल सिंह यादव को भरतपुर भेजकर कानून व व्यवस्था की स्थिति का चार्ज सौंपा गया। एक अन्य महानिरीक्षक, श्री मधोक को धीग इलाके में सामान्य स्थिति बहाल करने का काम सौंपा गया। कुम्हेर धीग व भरतपुर के बीच स्थिति है। सेना ने इलाके में फ्लैग मार्च किया तथा सी.आर.पी.एफ. भी तैनात की गयी।

इसके बाद भी, 7 जून को जाटों ने पिछली दोपहर की परंपरा को कायम रखते हुए तीन जाटवों की हत्या कर दी।

तुरन्त ही 132 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें अधिकतर जाट थे। अन्य 37 को हत्या व दंगों के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया।

ये सभी कदम बड़ा मुहल्ला के पीड़ित लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए काफी नहीं हैं। पूरे एक सप्ताह बाद जब यह संवाददाता वहाँ पहुंचा तब भी लोग बड़ा मुहल्ला छोड़कर जा रहे थे। वे एक भी शब्द बोलने, किसी से बात करने अथवा अपनी तस्वीरें खिचवाने के लिए एक मिनट भी रुकने को तैयार नहीं थे। श्री विपुल सिंह यादव ने बताया कि कुल 681 परिवार वहाँ से चले गये हैं लेकिन 132 परिवार लौट आये हैं। उन्होंने कहा, "अविश्वास व असुरक्षा की भावना अभी बनी हुई है।"

और राजनीतिक नेताओं के दौरों की न खत्म होने वाली चिर-परिचित कहानी शुरू हो गयी है। मुख्यमंत्री भैंरो सिंह शेखावत ने मृतकों के परिवारों को एक लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। शवों की पहचान होना अभी बाकी है। और यह पहचान शायद कभी नहीं हो सकेगी क्योंकि बस कुछ हड्डियाँ बाकी हैं जो बताती हैं कि एक आदमी जला है न कि जानवर।"

भरतपुर व कुम्हेर में कोई नागरिक संगठन नहीं है है जो पीड़ितों को सहायता पहुंचाये। कोई राहत कार्यक्रम नहीं है। और यदि यह बात राजस्थान के लिए सही है तो राष्ट्रीय नेताओं के लिए भी सही है कि जाटवों की की दशा से किसी को मतलब नहीं है, यदि उसका हित उनसे नहीं जुड़ा तो। अन्यथा ऐसा क्यों है कि वी.पी. सिंह, जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को राष्ट्रपति न बनाए जाने पर लोक सभा इस्तीफे की बात कर रहे थे वे कुम्हेर नहीं गये जबकि वह दिल्ली से केवल 170 किलोमीटर है? और कहां हैं राम विलास पासवान? इन नेताओं की बातों ने ही इन दलितों में ऊंचा करने का विश्वास आया और जब उनके सिर काटे गये तब उनकी तरफ सहानुभूति का हाथ बढ़ाना क्या इन नेताओं का फर्ज नहीं है?

कुम्हेर में जो कुछ हुआ वह भरतपुर व पूरे राजस्थान के लिए अभूतपूर्व है। लेकिन क्या यह शुरुआत है। जाट कहते कि ऐसा फिर होगा। जाटव कहते हैं—ऐसा फिर होगा। अन्तर यही है कि दोनों यह कहते हैं कि दूसरा समुदाय ऐसा करेगा। लेकिन कुम्हेर में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए क्या यह समझना कठिन है कि कौन बार-बार शोषण का शिकार होगा।

महाराष्ट्र में दूसरा राज्यस्तरीय आंगनवाड़ी सम्मेलन

किरण मोगे

8-9 मई, 1992 को पुणे आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन, महाराष्ट्र (ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स से सम्बद्ध) का दूसरा राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन स्थल का नाम कॉ. सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया, जिन्होंने अपने पति जाने-माने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 19वीं सदी में महाराष्ट्र में महिलाओं की जातीय दमन से मुक्ति के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया।

सम्मेलन में पूरे महाराष्ट्र से लगभग 800 महिलाओं ने भाग लिया था। हालांकि सूखे के प्रति राज्य सरकार की निष्क्रियता के विरोध में विपक्षी दलों द्वारा आयोजित बन्द के कारण 8 मई को महाराष्ट्र में जन जीवन ठप्प था।

सम्मेलन का आरंभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंगला चौधरी तथा रंजना पिसल द्वारा गाये गीत से हुआ। अपने उद्‌घाटन भाषण में जानी-मानी स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाषचन्द्र की भूतपूर्व साथी तथा 'आइद्वा' की उपाध्यक्ष कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने उल्लेख किया कि "वेतन में मामूली वृद्धि के रूप में हमें कुछ मामूली लाभ देकर महाराष्ट्र सरकार यह समझ रही है कि उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है।" ज्ञातव्य है कि 1 मई, 1992 को महाराष्ट्र सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के वेतन में क्रमश: 100/- रु. व 75/- रु. की वृद्धि की घोषणा की है।

उद्‌घाटन सत्र की अध्यक्षता संगठन की अध्यक्षा कॉ. अहिल्या रांगनेकर ने की। इस अवसर पर अनेक बिरादिराना संगठनों जैसे सीटू, 'आइद्वा' एग्रीकल्चरल वर्कर्ज यूनियन, बी.ई. एफ.आई. तथा राज्य सरकार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों द्वारा आंगनवाड़ी महिलाओं के समर्थन में भाषण दिये गये।

पिछले दो वर्षों की सांगठनिक रिपोर्ट कॉ. किरण मोगे ने प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत की जबकि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्ष व उनकी माँगों से संबंधित प्रमुख प्रस्ताव कॉ. शुभा शर्मा ने रखा। रिपोर्ट पर हुए जीवंत विचार-विमर्श में कांता माहेश्वरी, शशिकला मेशरम, निर्मला डोके, मुन्नी, शेख, मंगता चौधरी, सुनंदा चन्द्रचूड, संध्या जोशी, लीला कर्नाले, संगीता तथा छाया करले ने भाग लिया। सदस्यों के भाषणों में उच्च स्तरीय राजनैतिक जागरुकता तथा कांग्रेस (ई) सरकार की नीतियों के सन्दर्भ में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के भविष्य के संघर्षों के प्रति गहरी राजनैतिक चेतना प्रकट हुई।

कॉ. अंजलि महाबोलेश्वरकर राज्य में सूखे की स्थिति के प्रति राज्य सरकार की निष्क्रियता पर बन्द के आह्वान का प्रस्ताव रखा गया, जो सर्वसम्मति से पास हुआ। दिन के सत्र का समापन करते हुए ऑल इंडिया फेडरेशन की अध्यक्षता कॉ. विमल रणदिवे ने कहा आंगनवाड़ी के प्रस्तावित निजीकरण से आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याएं और बढ़ेंगी क्योंकि उन्हें कुछ निजी ठेकेदारों की दया पर छोड़ दिया जायेगा।

रिपोर्ट तथा प्रस्तावों पर विचार विमर्श अगले दिन भी जारी रहा। सम्मेलन में सरकार द्वारा की गयी मूल्य-वृद्धि, महिलाओं पर अत्याचार तथा साम्प्रदायिकता विरोधी प्रस्ताव भी पास हुए। प्रस्तावों पर हुए विचार-विमर्श में दालिम्बि वैद्य; रुख्साना, शिखाल्गर, सुशीला पवार, लता आदे, वेणु, शकुन्तला पवार, सिंधु उड़ापरे तथा वंदना गुपचुप ने भाग लिया।

संगठन की सीटू से सम्बद्ध करने सम्बन्धी प्रस्ताव कॉ. रमेश डाढ़ीवाडे ने रखा जिसका समर्थन कॉ. मंडा पाचार्ने ने किया।

गगनभेदी उत्साहपूर्ण शोर के बीच यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

राज्य सभा की सांसद कॉ. सरला माहेश्वरी ने इस अवसर पर प्रकाशित लोकोनियर जारी किया।

ऑल इंडिया फेडरेशन की महासचिव कॉ. नीलिमा मइवा ने महाराष्ट्र आंगनवाड़ी कर्मचारियों को राज्य में संगठन के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनको बधाई दी। उन्होंने परियोजना स्तर पर इकाइयों

[शेष पृष्ठ 12 पर]

ट्रेड यूनियनों की संयोजक समिति द्वारा भिलाई हत्याकांड की कड़ी निंदा

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की संयोजन समिति ने पहली जुलाई को भिलाई में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा आंदोलन-कारी कर्मचारियों पर की गयी अंधाधुंध गोलीबारी की कड़ी निंदा की है, जिसमें 25 से ज्यादा मजदूर मारे गए और अनेक गंभीर रूप से जख्मी हुए और अब तक अस्पताल में जिन्दगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आशंका यह है कि मरनेवालों की तादाद बढ़ सकती है।

मजदूरों का कसूर इतना था कि वे न्यूनतम वेतन कानून समेत मौजूदा श्रम कानूनों को ही लागू करने की मांग कर रहे थे जिन्हें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने उठाकर ताक पर रख दिया। भाजपा सरकार की यह उदासीनता भिलाई औद्योगिक पट्टी के अधिकांश मजदूरों के अमानवीय शोषण को और बढ़ा रही है। ध्यान रहे कि यहाँ अधिकतर मजदूर या तो आदिवासी हैं या अनसूचित जातियों-जनजातियों के हैं। आंदोलनकारी मजदूर श्रम आयुक्त के उस फैसले को भी लागू करने की मांग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने गैरकानूनी रूप से छंटनी किए कुछ हजार मजदूरों को बहाल करने की बात कही है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन नेता शंकर गुहा नियोगी के हत्यारों को गिरफ्तार करने और उन्हें सजा देने की माँग भी मजदूर उठा रहे थे।

प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार भिलाई में पैदा हो रही तनाव की स्थिति के बारे में मध्य प्रदेश सरकार को पहले ही सूचित किया जा चुका था और अगर उसने समय रहते हस्तक्षेप किया होता, तो मजदूरों के इस नरसंहार को टाला जा सकता था। इस सिलसिले में यह उल्लेखनीय है कि इन्हीं माँगों को लेकर 25 मई को मजदूरों ने छत्तीसगढ़ बंद और विशाल रैली का आयोजन किया था। लेकिन, तब भी पटवा सरकार के कानों में जूँ तक नहीं रेंगी। इस घटना के दिन भी प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने शाम तक घटना स्थल पर जाने की जहमत भी नहीं की, हालांकि आंदोलन सुबह साढ़े नौ बजे शुरू हो चुका था। खुद मुख्यमंत्री भी इस नरसंहार की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, क्योंकि तथ्य यह है कि वे खुद टेलीफोन पर पुलिस को पूरे अधिकार दे चुके थे।

मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश जोशी का बयान तो और भी निंदनीय है, जिसमें बेशर्मी से पुलिस फायरिंग को जायज ठहराने की कोशिश की गयी। और भाजपा की राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारजनों तथा घायलों के मुआवजे की जिस मामूली सी रकम की यह घोषणा मजदूर वर्ग के प्रति पटवा सरकार की उदासीनता तथा हृदयहीनता को बेनकाब कर देती है।

संयोजन समिति ने भाजपा सरकार द्वारा प्रदर्शित मजदूरवर्ग विरोधी रुख की तीखी निंदा की है। ध्यान रखने की बात यह है कि भाजपा निजाम में यह ऐसी पहली घटना नहीं घटी है, बल्कि लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है।

संयोजन समिति ने इस फायरिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने और अपराधियों को कड़ा दंड देने की की मांग की है। इसके अलावा मारे गये मजदूरों के परिजनों और घायलों को समुचित मुआवजा देने की मांग भी संयोजन समिति ने की है। उसने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार न्यूनतम कानून समेत सभी श्रम कानूनों को लागू करने, निकाले गये मजदूरों को बहाल करने, और शंकर गुहा नियोगी के हत्यारों को गिरफ्तार कर उन्हें दंडित करने के लिए, जरूरी कदम उठाये।

संयोजन समिति ने देश भर के ट्रेड यूनियन आंदोलन का आह्वान किया कि 8 जुलाई को प्रदर्शनों तथा गेट मीटिंगों का आयोजन कर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने और अधिकारियों को कड़ी सजा देने की माँग टेलीग्राम भेजकर, अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाएं।

गणतांत्रिक नारी समिति, त्रिपुरा की राज्य समिति का ज्ञापन

[राष्ट्रीय महिला आयोग के दौरे के समय, गणतांत्रिक नारी समिति ने आयोग को निम्न ज्ञापन दिया। —सं०]

प्रति :

श्रीमती सुभाषिनी अली,
श्रीमती मोनिका दास,
सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग,
नई दिल्ली (कैम्प-अगरतला)

आदरणीय महोदया,

गणतांत्रिक नारी समिति (एक लोकतांत्रिक महिला संगठन) की राज्य समिति, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का निरीक्षण करने के लिए आपकी अगस्त की त्रिपुरा यात्रा का गरमजोशी से अभिनंदन करती है। संचार-माध्यमों द्वारा इसकी कोई खबर नहीं दी गयी। प्रशासन अथवा राज्यपाल कार्यालय से हमें आपके आगमन व त्रिपुरा में आपके ठहरने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। केवल एक रेडियो प्रसारण से हमें इस बात का पता चल सका कि आप 22 अप्रैल, 1992 को आ रहीं थीं।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन ने भारतवर्ष की पीड़ित महिलाओं को बहुत उम्मीदें बंधी हैं जो कि भेद-भाव, असमानता, दहेज, हत्या जैसी यंत्रणाओं तथा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़ व अपहरण जैसी घटनाओं की शिकार हैं। सारा देश जानता है कि ये व्यवहार संविधान के निर्देशों के खिलाफ है। हम यहां श्रम कानूनों के संबंध में महिलाओं के साथ बरते जाने वाले आर्थिक भेदभाव का उल्लेख नहीं करेंगे। अपने ज्ञापन को हम महिलाओं पर होने वाली बहुत ही असभ्य, बर्बर व जघन्य ज्यादतियों तक ही सीमित रखेंगे जिनमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या आदि की घटनाएं शामिल हैं। इनमें अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मुस्लिम अल्पसंख्यक व चाय बागान की पिछड़ी हुई महिलाएं शामिल हैं।

3. हम यहां पिछले चार वर्षों से कांग्रेस (ई)-टी० यू० जे० एस० सरकार द्वारा किए जा रहे बर्बर अत्याचारों की कहानी दोहरायेंगी। उन रपटों का कुछ भाग आपको श्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में 31 जुलाई 1990 को त्रिपुरा आए संसदीय दल को दिये गये ज्ञापन में मिल जायेगा जिसकी प्रति संलग्न है। (अनुबंध—अ)

4. हम यहां त्रिपुरा के पहाड़ी आदिवासी इलाकों में थाना खोवाई के अंतर्गत उजन मैदान सामूहिक बलात्कार के मामले के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं समझते। इसमें आरोपी व्यक्तियों में असम राइफल्स के जवानों का एक तबका था। इस बारे में उच्चतम न्यायालय ने एक जांच आयोग गठित किया था। आयोग ने इन जवानों को अपराध का दोषी पाया तथा राज्य सरकार व त्रिपुरा पुलिस को भी मामले को दबाने का दोषी पाया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार का रवैया इतना कठोर है कि उसने फैसले के बाद भी इसकी शिकार हुई महिलाओं को कोई सहायता नहीं दी है तथा भुखमरी की-सी अवस्था में जीवन यापन कर रहीं हैं।

5. केवल उजन मैदान कांड में ही नहीं बल्कि महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों के सभी मामलों में सरकार व पुलिस दोषियों को सुरक्षा प्रदान करती है। पीड़ित लोगों को धमकाया गया व रपट भी नहीं करने दी गयी।

6. राज्य सरकार द्वारा त्रिपुरा विधान सभा के पटल पर रखे गये आंकड़ों से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों का पता चल सकता है। इसकी एक प्रति आपके विचारार्थ संलग्न है। (अनुबंध-ब) लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाये कि केवल 27 लाख जनसंख्या वाले राज्य में मिली-जुली सरकार के केवल आधे शासन के ये आंकड़े सभी कीर्तिमान तोड़ देते हैं।

7. हाल हुए बलात्कार, सामूहिक बलात्कार व सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या आदि के कुछ विशेष मामले इस ज्ञापन में दिये जा रहे हैं (अनुबंध-स) जिनसे आप यह जान सकेंगीं कि किस प्रकार आज राज्य में, खासतौर से

हमारी माताओं व बहनों की पत्रिका के संबंध में कोई कानूनी राज्य नहीं है।

8. क्या हम आपसे यह अनुरोध कर सकतीं हैं कि आप कृपया कैलाशहर सबडिवीजन में चौवान् तथा दक्षिण त्रिपुरा के गंडाछेरा सबडिवीजन में जाकर वहां की स्थिति देखें जहां महिलाएँ व बच्चे मक्खियों की तरह मर रहे हैं। भुखमरी से होने वाली कुछ सौ मौतें स्वयं प्रशासन ने स्वीकार की हैं (अनुबंध-द)। लंबी भुखमरी से होने वाली बीमारियों (हैजा व आंत्रशोध) के कारण मौतों की संख्या त्रिपुरा बंग्लादेश सीमा पर बढ़ती जा रही हैं। मिली-जुली सरकार अथवा केन्द्र सरकार क्षेत्र में झूम फसल के दो साल से नष्ट होने के कारण उत्पन्न अकाल की स्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। त्रिपुरा के आदिवासी इलाके दूसरे कालांहाडी में परिवर्तित होते जा रहे हैं जहां झुमिया आदिवासी अपने बच्चों को बेच रहे हैं तथा भोजन व रोजगार की तलाश में वहां से जा रहे हैं। सैकड़ों आदिवासी मिजोरम व बंग्लादेश जा चुके हैं। आपकी यात्रा से यह स्थिति राष्ट्रीय मंच पर पहुंच सकेगी जो कि झुमिया महिलाओं व बच्चों की जिन्दगी बचाने के लिए सर्वाधिक सहायक होगा।

9. आयोग से हमारी ठोस व सकारात्मक अनुरोध यही है कि महिलाओं के लिए एक चलते-फिरते न्यायालय की व्यवस्था कर दे ताकि पीड़ित महिलाएं वहां अपनी व्यथा सुना कर न्याय की मांग कर सकें।

10· पिछले कई माह में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की एक अधूरी सूची संलग्न है ताकि आयोग जैसे उचित समझे वैसे न्याय करे।

शुभ कामनाओं सहित,

भवदीय
मंजुलिका बोस,
रामादास,
मंगलेश्वरी देववर्मा
छाया बल,
आलो भौमिक।

महाराष्ट्र आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं द्वारा 16 जून की हड़ताल में भागेदारी

सीटू तथा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्ज एण्ड हैल्पर्ज से सम्बद्ध आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की आंगनवाड़ी सदस्याओं ने भारत सरकार की जन-विरोधी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध 16 जून की अखिल भारतीय हड़ताल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देश पर बनी नरसिम्हा राव सरकार जन-विरोधी नीतियों खिलाफ केन्द्रीय श्रम संगठनों की हड़ताल की अपील की प्रतिक्रियास्वरूप 16 जून को आंगनवाड़ी बन्द रही।

नागपुर, पुणे व अमरावती शहरों में कर्मचारियों ने संयुक्त रैलियों में भाग लिया तथा ताल्लुका व जिला स्तर पर विरोध सभाएं आयोजित की गयीं।

[पृष्ठ 9 का शेष]

की स्थापना करके संगठन को मजबूत बनाने की अपील की। उन्होंने राज्य में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं को उठाने में वाम मोर्चा सरकार द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख किया।

सम्मेलन में एक 21 सदस्यीय राज्यसमिति का चुनाव किया गया। कॉ. अहिल्या रांगनेकर ने भविष्य के काम की रूपरेखा प्रस्तुत की। सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता दिये जाने के संघर्ष के साथ ही साथ बेहतर स्थिति तथा बोनस व तरक्कियों के लिए संघर्ष जारी रखा जाएगा।

सम्मेलन का समापन एक रैली से हुआ जिसमें 'पुणे' जिले से आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं ने भाग लिया। रैली को संबोधित करते हुए कॉ. सरला माहेश्वरी ने कांग्रेस (आई) सरकार के दोगलेपन की आलोचना की जो एक ओर कहती है कि उसके पास आई. सी. डी. एस. जैसी विकास परियोजनाओं के लिए धन नहीं है लेकिन हर्षद मेहता को शेयर बाजार में जुआ खेलने के लिए धन देती है। रैली को कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कॉ. अहिल्या रांगनेकर तथा पुणे जिला सीटू की अध्यक्ष कॉ. प्रभाकर मंडर ने भी सम्बोधित किया।

विशाखापटनम में प्रथम आंगनवाड़ी सम्मेलन

डी. शर्मा

13 जून, 1992 को आंगनवाड़ी सेविका-सहायिकाओं का पहला विशाखापटनम जिला सम्मेलन कॉ. बी.टी. रणदिवे नगर, नरसिहपट्टम, आंध्रप्रदेश में संपन्न हुआ। राज्य समिति की अध्यक्ष का. के.एन. विजयलक्ष्मी ने ध्वजारोहण किया।

9 परियोजनाओं से 600 आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं ने सम्मेलन में भाग लिया। कुछ तो बेहद दूर-दराज के इलाकों से आयी थीं।

सदस्यों को संबोधित करते हुए यूनियन की महासचिव का. एस. पुण्यवती ने यूनियन की गतिविधियों की राज्य-वार जानकारी दी। उन्होंने कम आय वर्ग की आंगनवाड़ी महिलाओं के शोषण पर चिन्ता व्यक्त की तथा इन इन समस्याओं के समाधान के लिए संगठित होकर संघर्ष करने की अपील की।

उद्घाटन सत्र को महिला व बाल कल्याण की क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती फ्लोरेंस, पूर्व मंत्री श्री अय्यन-पाटूडु तथा विधायक श्री पी. बलराजु ने संबोधित किया। संयुक्त संयोजक का. सत्यवती ने 1989 के बाद से यूनियन की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पर हुए विचार-विमर्श में लगभग 13 सदस्यों ने भाग लिया। कुछ सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये जबकि कुछ अन्य ने सीटू व यूनियनों के मार्गदर्शन में अच्छे भविष्य के बारे में अपनी आकांक्षायें प्रकट कीं।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीटू की विशाखा-पटनम जिला समिति के महासचिव का. नरसिहराव ने केन्द्र सरकार की नयी जन-विरोधी आर्थिक व औद्योगिक नीति के खिलाफ समाज के अन्य वर्गों के साथ मिलकर संघर्ष करने की अपील की। सम्मेलन को यूनियन की अध्यक्ष का. विजयलक्ष्मी तथा महासचिव का. मनोहारी और आंध्र प्रदेश महिला संघ की संयुक्त सचिव का. पी. सेषरत्नम् ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में सरकार की नयी आर्थिक-औद्योगिक नीति, मूल्य-वृद्धि तथा महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गये।

13 तारीख की शाम को सदस्यों ने जुलूस निकाला व स्वागत समिति के लिए चन्दा इकट्ठा किया। यह जुलूस नरसिहपट्टम में चर्चा का विषय रहा। जुलूस में ही जनता तथा दुकानों आदि से 1500 रु. का चन्दा एकत्र हुआ।

सम्मेलन की अध्यक्षता एक अध्यक्षमंडल ने की जिसमें का. डी. शारदा, आर. सत्यवती, जी. सूर्यकंटनम, नागेश्वरी तथा एम. लक्ष्मी कोंडा शामिल थीं।

सम्मेलन में निम्नलिखित लोगों को यूनियन की जिला समिति में चुना गया।

का. डी. शारदा	(मानद अध्यक्ष),
का. आर. सत्यवती	(अध्यक्ष),
का. जी. सूर्यकंटनम	(उपाध्यक्ष),
का. एम. बंगरम्मा	(उपाध्यक्ष),
का. के. सत्यवती	(महासचिव),
का. एम. नागेश्वरी	(सचिव),
का. एम. रामालक्ष्मी	(कोषाध्यक्ष)।

6 अन्य लोगों को भी समिति में चुना गया तथा कुछ अन्य लोगों को शामिल करने की भी अनुमति दी गयी। सम्मेलन का समापन 'विस्तार और संगठन' के नारे के साथ हुआ।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये

वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सम्मेलन सं० 100 'समान वेतन' के बारे में सरकार की आलोचना

[मार्च, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में सीटू द्वारा रखे गये नोट के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सं० 100 पर निम्न टिप्पणी की। पाठकों को पता चलेगा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा रखे गये प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ थी—सं०]

सम्मेलन सं० 100, समान वेतन, 1951 पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की टिप्पणी

(भारत : रैटिफिकेशन : 1959)

अनेक वर्षों से समिति समान वेतन कानून, 1976 की ओर ध्यान खींचने का प्रयास कर रही है क्योंकि अभी भी ऐसे अनेक मामले होंगे जहां समान काम के लिए महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता है। यह भी कहा गया है कि उपर्युक्त कानून के अंतर्गत वेतन समानता के सिद्धांत सम्मेलन के सिद्धांत के मुकाबले अधिक सीमित है क्योंकि इसमें केवल समान नियोक्ता के लिए समान काम करने वाले पुरुषों व महिलाओं की बात की गयी है।

1991 में समिति ने उत्साहपूर्वक उल्लेख किया कि भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून में आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं जिनके तहत कानून का उल्लंघन करने पर अधिक सजा का प्रावधान रखा गया है तथा अदालत को यह अधिकार दिया गया है कि स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर अथवा उपयुक्त सरकारी अधिकारी, पीड़ित व्यक्ति या किसी पंजीकृत कल्याण संस्था द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर सकती है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्र में कानून के उल्लंघन पर किए गये मुकदमों की संख्या में वृद्धि, श्रम निरीक्षण गतिविधियों को सशक्त बनाने के लिए उपाय तथा विभिन्न राज्यों के अलग-अलग रोजगार क्षेत्रों की स्थिति के बारे में भी जानकारी थी। उसमें भारत सरकार के इस वक्तव्य का भी उल्लेख किया गया है कि विकास की वर्तमान अवस्था में समान काम के लिए समान वेतन की अवधारणा को लागू करना संभव नहीं होगा क्योंकि यह एक विकसित अवधारणा है तथा समान वेतन कानून का पूरी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

समित ने सरकार द्वारा दी गयी जानकारी तथा '91 में सम्मेलन समिति में हुए विचार-विमर्श का भी उल्लेख है। उसमें सीटू द्वारा मई, '91 में एक वक्तव्य के माध्यम से की गयी टिप्पणी का भी उल्लेख किया गया है जिसे सरकार के पास विचार के लिए भेज दिया गया था। समिति ने उल्लेख किया है कि सरकार ने न तो रिपोर्ट भेजी न ही सीटू के वक्तव्य पर अपने विचार भेजे।

समान वेतन कानून के कार्यान्वयन पर सीटू का मत

अपने वक्तव्य में सीटू कहती है कि 1976 में समान वेतन कानून पास होने के बावजूद अनेक कमियां रह गयीं हैं। वह इस बात को दोहराती है कि सरकार तथा प्रशासन द्वारा कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए जाते तथा अनेक उद्योगों में नियोक्ताओं ने महिलाओं को समान वेतन देने से बचने के लिए 'पीस रेट सिस्टम' चलाया हुआ है। या फिर वे दावा करते हैं कि महिलाओं व पुरुषों का काम समान प्रकृति का नहीं है, हालांकि काम की प्रकृति समान है, उससे पता चलता है कि क्यों बीड़ी, निर्माण, कपड़ा कृषि व अन्य उद्योगों में महिलाओं को कम वेतन मिल रहा है। इसमें इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि समान वेतन कानून में छूट की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है तथा कुछ एयर लाइनों में विमान परिचारिकाओं व अन्य पेशेवर कर्मचारियों को समान वेतन कानून की धारा से बाहर रखा जाता है। इसमें श्रम संगठनों तथा केन्द्र सरकार द्वारा पुरुषों व महिलाओं में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए किए गये प्रयासों का भी उल्लेख है जिनको बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए दोहराये जाने की आवश्यकता है।

समिति को आशा है कि अगले अधिवेशन में विचार

के लिए सरकार एक विस्तृत रपट भेजेगी जिसमें सीटू द्वारा उठाये गये मुद्दों के बारे में जानकारी होगी तथा समिति की निम्नलिखित टिप्पणियों का भी जवाब होगा :

1. पिछली रिपोर्ट में सरकार की इस टिप्पणी की याद दिलाते हुए कि संशोधित समान वेतन कानून को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, समिति उपर्युक्त कानून के उल्लंघन के मामलों को तुरन्त सुधारने की आवश्यकता की ध्यान दिलाना चाहती है।

समिति ने सम्मेलन समिति में अनेक राज्यों के विभिन्न उद्योगों में कानून के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में दी गयी जानकारी को नोट किया है। समिति इस बारे में सीटू की चिन्ता पर भी ध्यान दिया है कि कुछ उद्योगों में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन देने से बचने के लिए नियोक्ता 'पीस रेट सिस्टम' का प्रयोग करते हैं अथवा दावा करते हैं कि महिलाओं का काम अलग प्रकृति का तथा कम मेहनत वाला है तथा अनेक उद्योगों में महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिल रहा है।

अनेक अध्ययनों द्वारा प्रदर्शित वेतन की असमान स्थिति

इस संबंध में समिति को लेबर ब्यूरो (भारत सरकार श्रम मंत्रालय) द्वारा विभिन्न उद्योगों में महिलाओं की स्थिति के बारे में किए गये अध्ययन का हवाला देने का अवसर मिला है। निर्माण उद्योग के बारे में किए गये अध्ययन (अप्रैल, 1989 में जारी) से पता चलता है कि बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में रोजनदारी पर काम करने वाली महिला मजदूरों का वेतन न्यूनतम वेतन कानून में उल्लिखित न्यूनतम वेतन से कम है...कुछ मामलों में रोजनदारी पर काम करने वाली महिला मजदूरों का वेतन न्यूनतम वेतन के आधे अथवा 60 प्रतिशत से भी कम है...बम्बई व कलकत्ता में क्रमशः जिन 14 व 13 निर्माण परियोजनाओं का अध्ययन किया गया उनमें से 9-9 परियोजनाएं ऐसी थीं जिनमें नियोक्ता न्यूनतम वेतन कानून का उल्लंघन कर रहे थे क्योंकि उनमें महिला मजदूरों का वेतन पुरुषों के मुकाबले काफी कम था। नियोक्ता कानून से यह कर बचने का प्रयास कर रहे थे कि पुरुषों द्वारा किया जाने वाला काम महिलाओं के मुकाबले अधिक मुश्किल था जबकि अध्ययन से पता चलता है कि अधिकतर मामलों में महिलाओं व पुरुषों द्वारा किये जाने वाले काम में कोई अन्तर नहीं था। (पैरा 15 व 16)

सोनीपत (हरियाणा) के कपड़ा मजदूरों पर किये गये अध्ययन (1989 में जारी) से पता चला कि वहां पर महिला कर्मचारियों को न केवल दूसरे दर्जे का कर्मचारी माना जाता था बल्कि नियोक्ताओं द्वारा उन्हें 'कर्मचारियों' के रूप में मान्यता भी नहीं दी जाती थी। न्यूनतम वेतन कानून के कार्यान्वयन में आने वाली एक और दिक्कत यह थी कि अधिकतर कर्मचारियों को 'पीस रेट सिस्टम' के तहत काम पर रखा गया था। हैंडलूम उद्योग में कार्यरत अनेक कर्मचारियों तथा उनके कार्य की प्रकृति को देखते हुए यह निश्चय किया उद्योग में न्यूनतम वेतन कानून के तहत अलग रोजगार कार्यक्रम हो तथा न्यूनतम वेतन 'पीस वर्क सिस्टम' के आधार पर रखा जाये।

ऐसी ही स्थिति 1988 में कच्चे तम्बाकू, जर्दा व सिगरेट, ईंट भट्टा. स्टोन ड्रेसिंग, इलैक्ट्रिक व छोटे लैंप, रेडियो व टेलिविजन, फाउण्टेन व बाल पेन" उद्योगों में किए गए अध्ययन से सामने आयी। अध्ययन से पता चला कि पत्थर ढोने के काम में लगी महिलाओं को पुरुषों के वेतन का 6 से 60 प्रतिशत तक वेतन मिला करता था, जबकि उनका काम पुरुषों की तुलना में कठिन प्रतीत होता था (पैरा 3.2.2) इसी प्रकार 1988 में "टी-प्रोसेसिंग, कॉफी-कटिंग, पेपर व मेपर बोर्ड, रबड़ व प्लास्टिक उत्पादों बिजली के उपकरण, इलैक्ट्रॉनिक्स सामान आदि उद्योगों में किए गये अध्ययन से यह बात सामने आयी कि खासतौर से असम व उत्तर-पश्चिम बंगाल में रोजनदारी पर कार्यरत महिला मजदूरों को न केवल पुरुषों से कम वेतन दिया जाता था तथा माल उठाने के काम में संलग्न महिला कर्मचारियों का फैक्ट्री के रिकॉर्ड में कोई स्थान नहीं था व इस प्रकार इन्हें बोनस व भविष्य निधि जैसे लाभों से वंचित रखा जाता था।

समिति इस बात का उल्लेख करती है कि विभिन्न राज्यों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक सभी राज्यों में महिला व पुरुष कर्मचारियों के लिए समान वेतन नियत है तथा महिला व महिलाओं को न्यूनतम वेतन मिलता है अथवा/और पुरुषों के समान वेतन मिलता है, तथा जिन स्थानों पर ऐसा नहीं है उसका कारण यही है कि महिलाओं द्वारा किया जाने वाला काम अलग प्रकृति का तथा कम मेहनत वाला है तथा इसके उल्लंघन के मामले नहीं हैं अथवा बहुत कम हैं। अपने मौखिक वक्तव्य में सरकारी प्रतिनिधि ने असम के कुछ चाय बगानों में असमान वेतन दरों का उल्लेख किया।

समिति, सम्मेलन समिति में दी गयी जानकारी तथा उपर्युक्त अध्ययनों के परिणामों के अन्तर की ओर ध्यान दिलाया है जो वर्षों से प्राप्त हो रही रिपोर्टों व समिति की टिप्पणियों से स्थायी मालुम होते हैं। जहां एक ओर समिति इस कानून के कार्यान्वियन के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों के बारे में जानती है वहीं वह यह भी आशा करती है सरकार यह भी बतायेगी कि उपर्युक्त अध्ययनों में स्पष्ट हुई स्थिति की ओर राज्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह क्या प्रयास कर रही ताकि उस स्थिति को सुधारा जा सके।

2. जहां तक समान वेतन कानून, 1976 (1987 में संशोधित के प्रावधानों के बेहतर प्रचार के लिए किए गये उपायों के बारे में दी गयी जानकारी को समिति रुचिपूर्वक नोट करती है जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों व जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के मजदूर शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों, महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को श्रम मंत्रालय के महिला एकक द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता, श्रम निरीक्षकों को प्रशिक्षित करने व प्रावधान के अंतर्गत शिकायतें दर्ज करने के लिए चार संस्थाओं का चुनाव तथा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने को दी गयी वरीयता शामिल हैं। इस आयोग का काम इस कानून के संवैधानिक व कानून प्रावधानों पर विचार करना होगा, उसके बारे में आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव करना व उसके उल्लंघन की शिकायतों पर विचार करना है।

समिति को आशा है कि सरकार इन विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों को जारी रखेगी जिनसे राज्य सरकारों को भी प्रेरणा मिलेगी। समिति सरकार से अनुरोध करती है कि वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में अपनी रिपोर्ट में पूरी जानकारी दे।

3. समिति ने इस बारे में भी रुचि ज़ाहिर की है कि महिलाओं व बच्चों के बारे में प्रावधानों के कार्यान्वियन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित श्रम निरीक्षक नियुक्त करने की योजना मध्य प्रदेश में पायलट चार पर अच्छे ढंग से काम कर रही है तथा अगली पंचवर्षीय योजना में इसे अन्य राज्यों में भी चलाने का प्रस्ताव है। समिति का सरकार से अनुरोध है कि वह इस पायलट योजना के बारे में अपनी रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी दे। इस बारे में सीटू द्वारा की गयी टिप्पणियों को देखते हुए सरकार यह भी ध्यान में रखने की कोशिश करे कि वह इस कार्यक्रम में श्रम संगठनों को कैसे शामिल कर सकती है।

4, समिति ने राज्य स्तर पर न्यूननत वेतन कानून के बारे में किए गए निरीक्षणों, पायी गयी कमियों तथा उनके बारे में की गयी कार्रवाई पर भी विचार किया है। समिति को आशा है कि श्रम निरीक्षण की गतिविधियों को और सशक्त बनाने के लिए सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्रवाई करेगी तथा इस बारे में अपनी रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी भेजेगी।

5. समिति यह भी अनुरोध करती है कि सरकार उन मामलों के बारे में जानकारी दे समान वेतन कानून, अनुच्छेद 12 के तहत स्वयं अपने अधिकार से अथवा किसी संगठन की शिकायत या फिर सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर इन मामलों को दंडनीय पाया है। इस तरह की शिकायत करने के लिए केवल चार संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है। समिति आशा करती है कि इन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार अधिक संस्थाओं को पंजीकृत करेगी।

6. समिति एक सीधे अनुरोध में अन्य मुद्दे उठा रही है।

ग्वालियर में आंगनवाड़ी महिलाओं का सम्मेलन

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का पहला ग्वालियर जिला सम्मेलन 19 अप्रैल को मानसा भवन में समपन्न हुआ। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संगठित करने का शुरूआती प्रयास था। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ने का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उत्साह इस सम्मेलन में साफ दिखाई दे रहा था। समय अभाव अपर्याप्त तैयारी तथा शादियों के बावजूद 160 कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने सम्मेलन में भागीदारी की।

सम्मेलन के प्रारम्भ में एक चार सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल का गठन किया गया जिसमें श्रीमती अफरोज शेख श्रीमती चन्द्रकान्ता त्रिपाठी, श्रीमती उर्मिला तिवारी श्रीमती कमलेश जैन शामिल थीं। अध्यक्ष मण्डल के गठन के बाद सम्मेलन का प्रारम्भ हुआ।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए म. प्र. कामकाजी महिला समन्वय समिति की राज्य संयोजिका श्रीमती संध्या शैली ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दयनीय स्थिति का जिक्र करते हुए एक जुट होने और अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने का आह्वान किया। श्रीमती शैली का कहना था कि संगठन व संघर्ष के अभाव में हम ना तो अपनी मांगों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और ना ही हम अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने नरसिम्हाराव सरकार की आर्थिक नीतियों का और देश की आजादी पर बढ़ते साम्राज्यवादी दबाव का हवाला देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जब छंटनी का दौर तेज होगा तब सबसे पहले महिलाओं का ही रोजगार छीना जायेगा। क्योंकि महिलाओं के अभी तक ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ जोड़ा नहीं जा सका है। ना ही संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने आंगनबाड़ी के निजीकरण के खतरे को रेखांकित करते हुए सरकार की कर्मचारियों को बांटकर रखने की नीतियों का पर्दाफाश किया। महिलाओं को साझा संघर्ष में हिस्सेदारी करने का आह्वान किया।

सम्मेलन में भविष्य के आंदोलन की रूपरेखा व संगठन के संबंध में रिपोर्ट श्रीमती अनीता बाजपेयी ने रखी। बहस में हिस्सेदारी करते हुये—

1. रानी कुशवाह ने किराया व मानदेय बढ़ाये जाने की मांग की तथा स्थाईकरण की मांग पर जोर दिया।

2. विजय घूमाल—की शिकायत थी कि पोषण आहार वक्त पर नहीं मिलता है।

3. इन्द्रा गुप्ता का कहना था कि मीटिंग का दिन व टाईम निश्चित होना चाहिए।

4. कमलेश जैन—की राय थी कि ट्रेनिंग के दौरान बीमारी का पैसा मिलना चाहिये एक माह में एक बैठक हो।

5. चंद्रकांता त्रिपाठी—ने कहा कि आंगनबाड़ी भवन की टूट-फूट के सुधार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये।

6. अमिता सक्सैना—ने बताया कि पांच महीने से भवन का किराया नहीं मिला। सहायिका को भी परेशान किया जाता है। बहस में भागीदारी करने वाली अन्य महिलाओं में श्रीमती पार्वती देवी, अजीजा सिलूक्की, रामश्री चौरसिया आरिफा खान, मीना जैन कलावती सहगक, मुन्नी चौहान, राजकुमारी जैन, इमरती बाई ने हिस्सा लिया।

करीब तीन घण्टे तक चले इस सम्मेलन में यह तथ्य भी सामने आया कि अक्सर आंगनबाड़ीयां मंदिरों के प्रांगड में लगती हैं जिस कारण मुस्लिम और हरिजनों के बच्चे उनमें नहीं जा पाते। इसके अतिरिक्त सरकारी रूप से घोषित छुट्टियां भी ग्वालियर तक की आंगनबाड़ियों में भी नहीं दी जाती यदि कोई कार्यकर्ता इस दिन अपना केन्द्र बन्द रखती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने की धमकी दी जाती है।

सम्मेलन को सीटू जिला सचिव मण्डल सदस्य कॉ. प्रीतम सिंह रावत ने भी सम्बोधित किया उन्होंने म. प्र. की पटवा सरकार द्वारा अपनाई जा रही कर्मचारी

विरोधी नीतियों का उल्लेख किया। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के संघर्ष को आम मजदूरों द्वारा किए जा रहे संघर्ष का एक हिस्सा बताते हुए सीटू द्वारा उनके संघर्ष में हमेशा साथ देने का वादा किया।

सम्मेलन में उपस्थित जनवादी महिला समिति की जिला अध्यक्षा श्रीमती अफरोज शेख ने कहा कि ज.म.स आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं को उनके संघर्ष में हमेशा सहायता करेगी उन्होंने कहा कि केन्द्र के आसपास की महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को संगठित होना पड़ेगा तभी इस योजना में अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। कार्यकर्त्ताओं सहायिकाओं द्वारा उनके अधिकारों के लिए किए जाने वाले संघर्ष में जनवादी महिला समिति हमेशा साथ देगी।

सम्मेलन के अन्त में एक सदस्यीय समन्वय समिति और 9 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया। संचालन समिति ने श्रीमती अफरोज शेख कृष्णा भार्गव मीता जैन, कमलेश जैन, इन्दर गुप्ता अनीता बाजपेयी, आभा त्रिपाठी, उर्मिला तिवारी और मान्यता सरोज चुनी गईं। इसका संयोजक श्री अफरोज शेख को चुना गया।

संगठन को मजबूत करने के संकल्प को दुहराने वाले नारों के साथ सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

महिला उद्यमियों की केरल राज्य समिति की बैठक

प्रसन्ना कुमारी

केरल राज्य समिति की बैठक 6.4.92 को त्रिवेन्द्रम में हुई। राज्य नेता कॉ. रवीन्द्रनाथ, हबीब, पद्मालोचन, पद्मनाभन तथा वी. जी. भास्करन नातर बैठक में मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता कॉ. भानुमती ने की व कॉ. नजीमुन्निसा ने संक्षिप्त रपट प्रस्तुत की। केन्द्रीय समिति की रिपोर्ट वी. वी. प्रसन्ना कुमारी ने प्रस्तुत की। आइडवा की कॉ. टी. देवी भी उपस्थित थीं।

कॉ. रवीन्द्रनाथ ने राष्ट्रीय, आर्थिक, राजनैतिक व औद्योगिक गतिविधियों तथा संगठित मजदूर आंदोलन के बारे में जानकारी दी। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह तय पाया कि अभी समन्वय समिति की गतिविधियां केवल मध्यम वर्गीय महिलाओं तक ही सीमित हैं तथा परंपरागत उद्योगों में कार्यरत महिलाओं को भी संगठित करने के अधिक से अधिक प्रयास किये जाने चाहिए। 29 तारीक के रास्ता रोको कार्यक्रम को जबर्दस्त सफलता प्रदान करने का फैसला किया गया। राज्य समिति के सदस्यों के जिला समितियों से मिलने का काम दिया गया। कॉ. पी. देवी को 3 मई को आंगनवाड़ी राज्य समिति की बैठक आयोजित करने का काम दिया गया।

त्रिवेन्द्रम, जिला सम्मेलन

त्रिवेन्द्रम जिला समिति की बैठक का आयोजन 6.4.92 को कॉ. पोरी नगर में किया गया। लगभग 200 सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया। कॉ. रवीन्द्रनाथ (अध्यक्ष) ने नेताओं व उपस्थित सदस्यों का अभिनंदन किया। अध्यक्षमंडल में कॉ. ईश्वरी अम्मा (केरल स्कूल टीचर संघ), कॉ. सावित्री अम्मा (केरल, एफ. जी. ओ. यूनियन) तथा कॉ. ललिता (सीटू) शामिल थीं। एफ. एस. ई. टी. डी. के महासचिव कॉ. के. वी. राजेन्द्रन ने अपने उद्घाटन भाषण में देश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति तथा राव सरकार की आर्थिक नीतियों से मजदूर वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने चुनौती का सामना करने की जिम्मेदारी लेने की अपील की।

कॉ. विजया ने जिला समिति को काम की रिपोर्ट प्रस्तुत की। एन पी ओ यूनियन, के एस टी ए, श्री चिथिरा अस्पताल, एन एफ पी टी ई; के एस आर टी ई ए, केल्ट्रोन, के एस ई बी डब्ल्यू व सीटू के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कॉ. प्रसन्नाकुमारी व कॉ. भानुमती ने सदस्यों को संबोधित किया। सभी सदस्यों ने केन्द्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ संगठित आंदोलन की आवश्यकता पर बल दिया। कॉ. पोटी व 'आइड्वा' नेताओं ने सम्मेलन का अभिनंदन किया।

आंगनवाड़ी फेडरेशन की बैठक के फैसले

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी कर्कर्ज की कार्यसमिति की बैठक 5 जुलाई, 1992 को सीटू कार्यालय, 6 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली में हुई।

बैठक में निम्न चार राज्यों ने भाग लिया : हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब व पश्चिम बंगाल।

बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष भवतोष रॉय ने की।

बैठक का आरंभ का. एम. बासवपुनैया, का. मनोरंजन रॉय तथा का. कमल सरकार के निधन पर रखे गये शोक प्रस्तावों से हुई। ये सभी देश में हर प्रकार के अन्याय व शोषण के खिलाफ संघर्ष के अग्रणी नेता थे।

भिलाई में पुलिस की गोलीबारी से मारे गये मजदूरों तथा सत्ताधारी वर्ग के शोषण व अत्याचार के खिलाफ संघर्ष में अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों पर भी संवेदना प्रकट की गयी। उनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया।

अध्यक्ष की ओर से दो और प्रस्ताव रखे गये। एक में भिलाई में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की कड़ी निन्दा की गयी थी जिसमें लगभग 30 मजदूर मारे गए अनेक घायल हुए। प्रस्ताव में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गयी। प्रस्ताव में प्रयोजक समिति के फैसले के अनुसार 8 जुलाई 1992 को जगह-जगह प्रदर्शन करके व मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री को विरोध तार भेजकर अखिल भारतीय विरोध-दिवस मनाने की भी अपील की गयी।

दूसरे प्रस्ताव में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार कर्मचारियों की हड़ताल को दबाने के तरीकों की निन्दा की गयी व यह माँग की गयी कि मुख्य मंत्री मामले को समझौते द्वारा सम्मानजनक तरीकों से सुलझाएं।

इसके बाद का. नीलिमा मित्रा ने अपनी रपट रखी। उन्होंने नरसम्हिा राव ररकार की नीतियों के खतरों के बारे में संक्षेप में समझाया। विश्व बेंक मुद्राकोष के निर्देशों पर तैयार की गयी ये नयी नीतियाँ सार्वजनिक क्षेत्र की कमर तोड़कर हमारी अर्थव्यवस्था को निजी हाथों में सौंप रही हैं। ऐसे में यह आशंका है कि आई. सी.डी.एस. परियोजना भी इन नीतियों का निशाना हो सकती है। निर्गम नीति से लाखों लोगों की छंटनी होने की संभावना है तथा भविष्य में और रोजगार पैदा होने की संभावनाएं भी गंभीर रूप से प्रभावित होंगी और अंततः हमारी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता समाप्त हो जायेगी।

इस बात का भी उल्लेख किया गया कि लोगों ने संगठित रूप से आवाज उठाना आरंभ कर दिया है और दो सफल हड़तालें आयोजित की जा चुकी हैं।

महासचिव ने आई.सी.डी.एस. कर्मचारियों को संगठित होकर संघर्ष में शामिल होने की आवश्यकता पर बल दिया।

कलकत्ता में हुई पिछली बैठक के बाद से संगठन की गतिविधियों का जायजा लिया गया व संगठनात्मक पहलु पर लोगों के विचार जाने गये। विस्तृत विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित फैसले लिए गए :

1. नरसिम्हा राव सरकार की जन-विरोधी व मजदूर-विरोधी नीतियों के विरुद्ध सभी स्तरों पर प्रचार किया जाये। आई.सी.डी.एस. परियोजना पर हमले की संभावना भी इस प्रचार में शामिल की जाये।

2. राज्य संगठनों को मजबूत बनाने का काम तुरन्त आरंभ किया जाये।

3. अखिल भारतीय केन्द्र का कामकाज सुधारने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं।

4. परियोजना की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन करें। इन कार्यक्रमों में निरंतरता बनाये रखने चाहिए।

5. आंगनवाड़ी महिलाओं में ट्रेड यूनियन की जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य कक्षाएं आरंभ करें।

6. 16 या 17 सितम्बर '92 को अखिल भारतीय सांकेतिक हड़ताल का आयोजन किया जाए। ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि यह कार्यक्रम देश भर में आयोजित हो।

7. केन्द्र पदाधिकारियों में काम का बंटवारा करके राज्यों की ओर विशेष ध्यान दे। काम का बंटवारा फेडरेशन कों संपूर्ण बैठक में किया जाये।

बिहार राज्य खेत-खलिहान महिला मजदूर संघ का प्रथम राज्यस्तरीय सम्मेलन

अंजू पांडे

बिहार राज्य के खेत खलिहान में काम करनेवाले महिलाओं का प्रथम राज्यस्तरीय सम्मेलन पटना जिला के धनरूआ प्रखण्डान्तर्गत दत्तमई ग्राम में दिनांक 16 जुलाई को संपन्न हुआ।

सभास्थल के लिये जन साहित्य पुस्तकालय दत्तमई के सुरम्य प्रांगन को चुना गया जिसका नामकरण का. गिरिजा पोट्टी नगर किया गया था तथा मंच का नाम स्व. चन्द्रशेखर शास्त्री मंच रखा गया था। मंच बड़े ही सुन्दर ढंग से सजाया गया तथा मंच के मध्य में का. बी.टी. आर. का आदमकश तैलचित्र लगा हुआ था एवं मुख्य द्वार पर स्व. चन्द्रशेखर शास्त्री का तैल चित्र लगा हुआ था जो सभास्थल एवं मंच की शोभा में चार चांद लगा रहे थे।

सर्वप्रथम शहीद स्मारक पर माल्यार्पण के पश्चात झण्डोतोलन करके सभा की कार्यवाही का शुभारम्भ किया गया। झंडोतोलन बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका एवं कर्मचारी संघ के महामंत्री श्रीमती शांति मिश्रा ने किया। सभा के संचालन के लिए एक अध्यक्ष मंडली का गठन किया गया जिसके निम्नलिखित सदस्य थे। श्रीमती शीला शर्मा, श्रीमती बबन कुमारी, श्रीमती पुष्पा देवी, श्रीमती माधुरी कुमारी एवं श्रीमती प्रमिला देवी थीं। सम्मेलन की सफलता हेतु एक स्वागत समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष कु. ऋचा शर्मा एवं स्वागत मंत्री कुमारी अंजू पाण्डेय चुनी गयी थी।

सम्मेलन का उद्घाटन बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका एवं कर्मचारी संघ के महामंत्री श्रीमति शांति मिश्रा के उद्घाटन भाषण से किया गया। श्रीमती मिश्रा ने बिहार राज्य खेत-खलिहान में काम करनेवाली महिलाओं को एक मंच पर संगठित करने का भागीरथ प्रयास एवं बिहार के 28 जिलों के लगभग 800 प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर संघ की आयोजिका श्रीमती शीला शर्मा प्रधानाध्यापिका, रा. श. स्मारिका बालिका उच्च विद्यालय ओकरी, को साधुवाद दिया जिनके अथक प्रयास के चलते ही यह सम्मेलन आयोजित हो सका। श्रीमती मिश्रा ने बड़े ही आक्रोशपूर्ण मुद्रा में खेत खलिहान में काम करने वाली महिलाओं पर आये दिन होने वाले अत्याचारों की चर्चा की तथा इस विन्दुवार चर्चा के क्रम में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम मजदूरी दिये जाने का विरोध किया। श्रीमती मिश्रा ने बिहार सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी की चर्चा करते हुए स्मरण दिलाया कि उसमें महिलाओं के सम्बन्ध में कोई भी अलग व्यवस्था नहीं है फिर भी खेत-खलिहान तथा कल-कारखानों में काम करनेवाली महिलाओं को पुरुषों के अनुपात में कम वेतन मिलता है जो सर्वथा निन्दनीय है। श्रीमती मिश्रा ने उपस्थित महिलाओं को अपने उत्पीड़न के प्रतिकार हेतु एकजुट होकर संघर्षरत् हो चरणबद्ध आंदोलन चलाने की राय देते हुए यह आश्वासन दिया कि आके आंदोलन को बिहार के सभी महिला संगठनों का समर्थन मिलेगा इसमें कदापि दो राय नहीं हो सकती है। श्रीमती मिश्रा ने यह बताया कि खेत खलिहान में काम करने वाली महिलाओं को नारी जन्य परिस्थितियों में भी क्षणिक अवकाश नहीं मिलता है जो पुरुष मानसिकता का नारी सम्मान पर प्रहार है जिसे कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने आक्रोशपूर्ण मुद्रा में कहा कि विशेष परिस्थितियों में महिलाओं से काम लेना एक संज्ञेय अपराध है।

सम्मेलन के स्वागतमंत्री कुमारी अंजू पांडेय ने अपने स्वागत भाषण के दौरान उपस्थित महिलाओं को अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने हेतु आगे आने का आह्वान किया। कुमारी पांडेय ने खेत खलिहान में काम करनेवाली महिलाओं की समस्याओं की विन्दुवार चर्चा की। उन्होंने नारी जन्य अवस्थाओं के समय भी महिला मजदूरों को खेत खलिहान में काम पर लगाये जाने का घोर विरोध व्यक्त किया। सुश्री पाण्डेय ने अपने

क्षोभपूर्ण भाषण के दौरान केन्द्रीय सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध करते हुए यह बताया कि वर्तमान केन्द्रीय सरकार ने अपने आर्थिक नीति का गलत ढंग से मूल्यांकन किया है उसमें महिला मजदूरों के हितों की घोर उपेक्षा की गयी है। महिला मजदूर भी भारत के अंग है और इसकी इस प्रकार की उपेक्षा के प्रति समाजसेवियों बुद्धिजीवियों एवं मजदूर संगठनों का ध्यान केंद्रित होना अति आवश्यक है। सुश्री पांडेय ने बिहार सरकार को आगाह किया कि उसने यदि महिला मजदूर शोषण की नीतियों को बन्द नहीं किया तो इसका गम्भीर परिणाम भुगतना पड़ेगा।

सुश्री अंजू पाण्डेय ने दवा कम्पियों में महिला मजदूरों के प्रति प्रबंधकों द्वारा अपनाये जा रहे मजदूर विरोधी रवैये पर उपस्थित सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने खास करके शादीशुदा महिलाओं को दवा कम्पनी में काम पर नहीं लगाने की नीति का भी विरोध किया।

स्वागत समिति की अध्यक्षा सुश्री ऋचा शर्मा ने आगत अतिथियों से खेत खलिहान में काम करने वाली महिलाओं की समस्याओं के प्रति सहयोगात्मक रूख अपनाने की अपील की। सुश्री शर्मा ने अपने भाषण के दौरान उपस्थित सदस्यों को अपने मांगों के प्रति एक सूत्र में संगठित होकर आंदोलन करने की सलाह दी। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए का. रमणिका गुप्ता ने बिहार के 28 जिलों से लगभग 800 महिलाओं की उपस्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन की सफलता एवं स्वागत समिति द्वारा किये गये व्यवस्था के लिये सम्मेलन की आयोजिका श्रीमती शीला शर्मा की काफी प्रशंसा की तथा उन्होंने याद दिलाया कि इस संगठन की बिहार में नितांत आवश्यकता थी। का. गुप्ता ने संघ के आरम्भिक कठिनाइयों की बिन्दुवार चर्चा करते हुए यह बताया कि वे स्वयं कोल्डफिल्ड में महिलाओं को संगठित करके यह अनुभव किया है कि महिलाओं में जब जागृत अवस्था उत्पन्न हो जाती है तब वे अपने उत्पीड़न प्रतिकार हेतु किसी भी प्रकार के बलिदान हेतु सर्वथा तैयार रहती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनका सहयोग बिहार राज्य खेत खलिहान महिला मजदूर संघ को सदा मिलता रहेगा।

श्रीमती शीला शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण का शुभारम्भ बड़े ही विद्वतापूर्ण ढंग से किया। श्रीमती शर्मा ने विशेष रूप से बिहार सरकार की महिला विरोधी नीतियों का विस्तार पूर्वक चर्चा की उन्होंने महिलाओं को अपने उत्पीड़न के प्रति सजग होने की सलाह दी। श्रीमती शर्मा ने याद दिलाया कि बिहार सरकार खेत खलिहान में काम करने वाली महिलाओं का ही नहीं बल्कि अन्य परियोजना तथा बालिका परियोजना विद्यालय, तथा बाल विकास परियोजना की विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि परियोजना बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं का गंभीर शोषण किया जा रहा है और वे सभी एक मजदूर के जिन्दगी से भी बदतर जीवन जीने हेतु विवश है किन्तु यह भ्रष्ट सरकार की कानों तक इन शिक्षिकाओं की आवाज नहीं पहुंच पा रही है।

श्रीमती शीला शर्मा ने बड़ा ही आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यह कायर और निकम्मी सरकार भले ही हमारी बातों को न सुने लेकिन हम महिलाओं को अपने उत्पीड़न के प्रतिकार हेतु दिलोदिमाग से तैयार होना होगा और एक चरणबद्ध आन्दोलन चलाकर सरकार को यह बता देना होगा कि आज की महिला अब अबला नहीं रह गयी है और हम तुम्हारे हर जोर जुल्म के प्रतिकार के लिये कमर कस कर तैयार हैं।

भोजनावकाश के बाद खुला अधिवेशन सम्पन्न हुआ जिसमें अन्य लोगों को अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम जहानाबाद जिला एस. एफ. आई. के सचिव मंडल के सदस्य एवं युवा कवि एवं पत्रकार अभिराज कुमार अकेला ने जन साहित्य पुस्तकालय दलमई के अध्यक्ष के रूप में पुस्तकालय प्रांगण में एकत्र आगत अतिथियों का अभिनन्दन करते हुए अपने भाषण में महिलाओं को 'संघे शक्ति कलियुगे' का अर्थ समझाते हुए संगठित होने का आह्वान किया।

अपने जोरदार भाषण में श्री अकेला ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, शोषण एवं प्रताड़न आदि से मुक्ति हेतु नारियों को कमर कसने को कहा। उन्होंने कहा कि फैक्टरियों में काम करने वाली लक्ष्मीयों एवं स्कूलों में पढ़ाने वाली सरस्वतीयों को अपने अधिकार की रक्षा हेतु चण्डी बनने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार पर नारियों के प्रति दोहरे मानदण्ड अपनाने का आरोप लगाया। श्री अकेला ने जोरदार शब्दों में कहा कि

सामाजिक न्याय की ढिढोरा पिटने वाली भ्रष्ट लालू सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा नारी उत्पीड़न की घटनाएं घटी हैं।

सभा को सम्बोधित करते हुए श्रीमती माधुरी कुमारी ने कहा कि बिहार राज्य के खेत-खलिहानों में काम करने वाली महिलाएं हर समय असुरक्षा की भावना से ग्रसित रहती हैं। आए दिन खेत-खलिहानों एवं चिमनी भट्ठियों पर कार्य करने वाली महिलाएं समाज के दरिन्दो के काम-पिपासा की शिकार होती रहती हैं और यहां के प्रशासन गुंडों को पकड़ने के बजाय संरक्षण देता रहा है। गुंडे सड़क पर खुले घूमते हैं और बलात्कार की शिकार महिलाओं को प्रशासनिक पदाधिकारियों के समक्ष उल्टे-सीधे प्रश्नों के जवाब देने के लिए हाजिर किया जाता है।

उन्होंने कहा कि पुलिस में कार्यरत् महिला पुलिस सदस्या भी अपने ही साथी पुलिसों की काम-पिपासा की शिकार हो जाती हैं। इस प्रकार जब न्याय के रक्षक ही अन्याय पर उतर जाएं तो समाज की दशा क्या होगी? इन सबों से रक्षा के निमित्त महिलाओं को एक सूत्र में बंधना होगा।

इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से आयी हुईं महिला सदस्यों ने भी सभा को सम्बोधित किया जिनमें श्रीमती सुनीता कुमारी (जहानाबाद) सुश्री रेखा कुमारी (पटना) श्रीमती विभा कुमारी (गया) श्रीमती अंजू कुमारी (गढ़वा) श्रीमती वीणा पाण्डेय (रांची) श्रीमती लीला सिन्हा (हजारीबाग) रानी कुमारी (मुंगेर) एवं भवानी (नालन्दा) प्रमुख थीं।

सभा के समाप्ती से पूर्व अगले सत्र के लिए निम्न-लिखित पदाधिकारियों का चुनाव किया गया—

अध्यक्ष—श्रीमती सुनीता कुमारी (जहानाबाद)
उपाध्यक्ष— (1) सुश्री ऋचा शर्मा (पटना)
(2) श्रीमती अंजू कुमारी (गढ़वा)
महामंत्री—कुमारी अंजू पाण्डेय (पटना)
संयुक्त मंत्री—(1) श्रीमती वीणा पाण्डेय (रांची)
(2) श्रीमती सविता सुधाकर (जहानाबाद)
कोषाध्यक्ष—श्रीमती विभा कुमारी (गया)

सभा की समाप्ति पर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए श्रीमती बबन कुमारी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से इतनी दूरी तय करके एवं वर्षाती झंझावातों के थपेड़ों को सहकर आप सबों ने यहां आकर यह बता दिया है कि उचित निर्देशन व नेतृत्व प्राप्त हो तो हम महिलायें भी किसी से कम नहीं हैं। आशा है आज के सम्मेलन में जो दीप जलाया गया है वह सदैव जलता रहेगा एवं इसका प्रकाश दिनोंदिन फैलता ही रहेगा। और इस प्रकाश के द्वारा हम महिलाओं में एक नई शक्ति का संचार होगा जिसकी ज्वाला हर एक नारी शोषक को भष्माभूत कर देगी इसमें कदापि सन्देह नहीं है।

जय हिन्द! जय जगत!! जय बिहार राज्य खेत खलिहान महिला मजदूर संघ!!!

शोलापुर की महिला बीड़ी मजदूरों की विजय

यह एक तथ्य है कि यदि यूनियन में महिलाएं सक्रिय हों तथा उन्हें संगठित किया जाये तो वे बेहद होशियारी से प्रबंधकों की चालबाजियों को मात दे सकती हैं। इसी प्रकार शोलापुर में महिलाओं ने बीड़ी नियोक्ताओं की चाल को पराजित किया। प्रबंधकों ने आठ घण्टे में 2000 बीड़ियां बनाने वालों को 11 तोला का चांदी का कप तथा 1000/- रु० देने, और इस प्रतियोगिता के नाम पर महंगाई भत्ता व न्यूनतम वेतन में कटौती करने की चाल चली थी। कुछ महिलाएं जिन्हें इसके परिणामों की जानकारी नहीं थी वे इसमें शामिल होने को तैयार थीं। महिलाओं को एक दिन पहले पत्ते तोड़ने को कहा गया। ये पत्ते काम के स्थान पर लाने थे तथा इन्हें काटने का समय 'प्रतियोगिता' में शामिल नहीं था। यह चाल सैंगल एण्ड वैंगल कंपनी, देसाई बीड़ी कंपनी, ठाकुर सावडेरकर सिनर बीड़ी वर्क्स, मुनाशी बीड़ी चरतभाई बीड़ी आदि ने चली। उन सभी ने यह आशा की थी कि महिलाएं बड़ी संख्या में इसमें भाग लेंगी तथा वे कह सकेंगी कि अब महिलाएं एक दिन में 8000 बीड़ियां बना सकती हैं तथा न्यूनतम वेतन या महंगाई भत्ते का प्रश्न ही नहीं उठता।

[शेष पृष्ठ 24 पर]

बिहार राज्य आंगनवाड़ी महिलाओं का विधान सभा पर धरना

शान्ति मिश्रा

बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 24 जुलाई को बिहार-विधान सभा के समक्ष करीब 1500 सेविका-सहायिका एवं कर्मचारियों ने एक दिन का धरना दिया। धरने कार्यक्रम का सफल नेतृत्व संघ की राज्य शाखा की संयुक्त मंत्री श्रीमती शीला सिन्हा कर रही थीं।

धरना स्थल पर उपस्थित सदस्यों को बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं कर्मचारी संघ की महामंत्री डॉ० श्रीमती शान्ति मिश्रा ने संघ एवं सदस्यों की भूमिका को समझाने का प्रयास किया। श्रीमती मिश्रा ने बताया कि इन्धन का मूल्य कुछ भी हो किन्तु जब वह आग से मिल जाता है तब आग के सारे गुण उस इन्धन में अपनेआप समाहित हो जाते हैं। आग कभी इन्धन नहीं बनाती, इन्धन को आग बनना पड़ता है। यही स्थिति वर्तमान में संघ एवं सदस्यों की है। इसलिए संघ को सुदृढ़ एवं संगठित करने हेतु आप सभी को भी इन्धन बनना पड़ेगा। वैदिक भाषा में नारी का रूप परिदर्शन में अग्नि से भी तथा ममतामयी वात्सलय प्रेमी प्राण दायनी के रूप में भी किया गया है। संहार, विनाश प्रज्वलन, प्रदीपन, सर्वभक्षण आदि कर्म अग्नि के ही हैं। मेरे कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि आप सबों को अग्नि बनकर अपनी राजनीति करनी होगी तभी आप को अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में सफलता मिलेगी।

बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं कर्मचारी संघ की महामंत्री श्रीमती शान्ति मिश्रा ने संघ के सदस्यों की उदासीनता के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आप सभी जिसे बाज के पंजे से बचाना चाहते हैं उसे खुद अपने सभी अपने-अपने क्षेत्रों में जागृति पैदा करें तभी आप को सफलता प्राप्त होगी। यह निर्विवादित सत्य है कि जिज्ञासा का विस्तार चेतना को प्रभावित करने वाली पूर्ण जानकारियों के रूप में हुआ है। आप लोग नियमित रूप से काम-काजी महिला पढ़ें और संघ की गतिविधि पर ध्यान रखें।

श्रीमती मिश्रा ने चेतावनी के शब्दों में कहा कि उभरती हिंसा के प्रति भय स्वाभाविक है संदर्भतः बिहार के मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद द्वारा दिये गये भाषणों के अंतर्गत विगत दो वर्षों में अनेकों बार इस परियोजना को बन्द कर देने की धमकी एक प्रकार से हम सबों को भयादोहित करना ही है किन्तु इसे सहजता से नकारा भी नहीं जा सकता है। मुख्य मंत्री का सामाजिक न्याय का नारा उनके ही शब्दों में सामाजिक खोखलेपन को इंगित करता है। इस लिए आप सभी अपने उत्पीड़न के प्रतिकार के लिये दिलोदिमाग से तैयार रहें। क्योंकि अब संघर्ष निश्चित हो गया है। इसमें कदापि दो राय नहीं है।

श्रीमती मिश्रा ने भारतीय नारी की तुलना धरती से की। उन्होंने याद दिलाया कि धरती के गर्भ में अनगिनत अनमोल रत्न छिपे हुए हैं इस लिए वह मौन होकर उन आयामों को उगलती रहती है जो मनुष्य की श्रेष्ठता के लिए अपेक्षित है। श्रीमती मिश्रा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेविका कोई याचक नहीं है। उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है यदि आवश्यकता है तो सिर्फ अपने अन्दर छिपी हुई शक्तियों को उजागर करने की। यह सर्वविदित है कि जननी कभी अपने गर्भ से बाहर आकर सांस लेते हुए व्यक्ति अथवा तत्व को पीड़ा नहीं देगी। पीड़ा सहना धरती को स्वीकार्य है, किन्तु अन्याय का प्रतिकार करते हुए वह काल खण्ड की हर विभिषिका को झेलती है और समय आने पर अपने अंतरिक दावानल के उछाल से अपने भीतरी आवेग के विस्तार से अपने शोषकों को भस्मा भूत कर देती है। इस लिए आप सभी नवम्बर माह में होने वाले राज्य स्तरीय प्रदर्शन में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में पटना आकर अपने विरोध का इजहार करते हुए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें।

धरना स्थल पर सम्बोधन हेतु बिहार राज्य खेत-

खलिहान मजदूर संघ की महामंत्री सुश्री अंजू पाण्डेय "दत्तमयी" भी आई थी। सुश्री पाण्डेय ने उपस्थित सदस्यों को एकजुट होकर संघर्ष करने की सलाह दी। सुश्री पाण्डेय ने कहा कि नारी जागरण के फलस्वरूप देश में अनेकों बार क्रांति हुई है और उससे राजनैतिक बदलाव भी हुए हैं इतिहास इसका साक्षी है। सुश्री पाण्डेय ने बताया कि पीड़ित नारी जब हुँकार कर उठती है तब समूचा विश्व सूखे पत्ते सा हिल उठता है और उस झंझावात में गर्वोन्नत खड़ी विशालता पलभर में नष्ट होकर सपाट मैदान का रूप ले लेती है। इस लिए आप सभी अपने अन्तर की शक्तियों को पहचान कर बिहार के भ्रष्ट सरकारी तन्त्रों को अगाह कर दें कि यदि नारी शक्ति में मात्र संकल्प स्पर्शसा भी उथल-पुथल हुआ तो इसकी विकरालता से क्या स्थिति उत्पन्न हो जायगी कहना मुशकिल है और यह अत्यन्त चिंतन का विषय है।

धरने को बिहार राज्य चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महा मंत्री श्री राधारमण सिन्हा ने सम्बोधित करते हुए सभी सदस्यों को आगे आने का आह्वान किया तथा उन्होंने आश्वस्त किया कि बिहार राज्य कर्मचारी महा संघ का सहयोग सेविकाओं के आन्दोलन को मिलेगा। ज्ञातव्य है कि श्री सिन्हा महासंघ के संयुक्त मंत्री भी हैं।

बिहार राज्य बालिका परियोजना विद्यालय की सम्मानित सदस्या श्रीमती शीला शर्मा ने अपने विद्वतापूर्ण सम्भाषण में महिला राजनीति की चर्चा विस्तार रूप से करते हुए सरकार की महिला विरोधी नीतियों की आलोचना बड़े ही तीखे शब्दों में की। श्रीमती शीला शर्मा ने सरकार को चेतावनी दी कि वह अपने महिला उत्पीड़न के इरादे को बदले अन्यथा इसके गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

धरने को बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं कर्मचारी संघ की संयुक्त मंत्री श्रीमती शीला सिन्हा, कार्यालय मंत्री श्रीमती धर्मशीला सिन्हा, कुमारी संध्या पाण्डेय, कमला सिन्हा एवं श्रीमती सुभद्रा देवी ने भी सम्बोधित किया।

[पृष्ठ 22 का शेष]

तथापि, नियोक्ताओं की इच्छानुसार इस प्रतियोगित की खबर गुप्त नहीं रह सकी। चाय-पानी की तैयारिय की गयीं। कॉ. मंगलाभाई हटागी तथा अन्य महि उद्यमी लाल झंडे के साथ वहां पहुंची। उन्होंने उसी स्था पर उसी समय पर एक विशाल प्रदर्शन करने की योजन बनाई। हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्र हुईं। य 17 जून' 1992 की बात है। प्रतियोगिता के सम हजारों महिलाओं ने आकर नियोक्ताओं के विरुद्ध ना लगाने शुरू किए। इससे भीतर प्रतियोगिता में शामि महिलाएं भी चौंकी व नियोक्ता पूरी तरह बेनकाब ह गये। बीड़ी महिला मजदूरों के प्रदर्शन में अन्य मजदूर भ शामिल हो गये। लक्ष्मी नर्स उस कार के सामने गि गयीं जिसमें महिलाओं को प्रतियोगिता स्थल पर ले जा जा रहा था। कार को चारों ओर से हजारों महिलाओं घेर लिया, वे नारे लगा रही थीं। बीड़ी मालिक कु कहने या मुंह दिखाने लायक नहीं रह गये थे। यह राज नैतिक रूप जागरूक महिलाओं का नियोक्ताओं के मुंह प करारा तमाचा था। इनका नारा था—वेतन व महंगा भत्ते में और कटौती नहीं !

Book Post